राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10]   तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का चौदहवां दिवस   [संख्या : 6

बुधवार,

06 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी इससे पहले अपना बजट प्रस्तुत करें....

श्री अध्यक्ष: किसी अन्य सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

सूचना

राज्य में HPCL द्वारा रिफाइनरी स्थापना का निर्णय

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सदन को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि केन्द्रीय मंत्री वीरप्पा मोइलीजी ने जो रिफाइनरी के लिए सूचित किया है, राजस्थान में एच पी सी एल के माध्यम से रिफाइनरी लगाने का फैसला हुआ है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): रिफाइनरी लगाने का फैसला एच पी सी एल ने एप्रूव किया है, उसके लिए मैं सदन के तमाम सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 का उपस्थापन

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, वर्ष 2012-13 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. हमारी सरकार द्वारा शासन संभालते ही पार्टी के घोषणा पत्र के अनुरूप नीतियों का निर्धारण करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि पिछले चार वर्षों में हमने, सबके सहयोग से, किये गये वायदों को पूरा किया है। इस दौरान हमने राज्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अनेक योजनायें क्रियान्वित कीं, जिनके आशातीत परिणाम प्राप्त होने लगे हैं।

3. हमने राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के साथ-साथ समावेशी विकास (inclusive growth) की अवधारणा को पूरा करने की दृष्टि से समाज के वंचित समूहों (disadvantaged groups) जैसे बी पी एल, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। आमजन के सशक्तिकरण (empowerment) की दृष्टि से हमने Right to Hearing Act-2012 तथा Guaranteed Services Delivery Act-2011 जैसे कानून बनाये हैं। अभाव अभियोगों के त्वरित निस्तारण हेतु ई-सुगम पोर्टल का निर्माण किया है। प्रशासन में सुधार व जवाबदेही लाने तथा पारदर्शिता के उद्देश्य से हमने Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 लागू किया है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मुख्य मंत्री, मंत्रियों व अधिकारियों की सम्पत्ति को सार्वजनिक करने के साथ-साथ विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 को लागू किया है, जो कि भ्रष्टाचार को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा।

4. Right to Shelter की अवधारणा को मूर्त रूप देने की दृष्टि से हमने 'मुख्य मंत्री ग्रामीण बी पी एल आवास योजना' एवं 'मुख्य मंत्री शहरी बी पी

(श्री अशोक गहलोत)

एल आवास योजना' प्रारम्भ की है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से समस्त बी पी एल परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिस पर राज्य सरकार प्रति वर्ष लगभग 350 करोड़ रुपये व्यय कर रही है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 5. हमारे द्वारा राज्य के समस्त ए पी एल, बी पी एल परिवारों के रोगियों को नि:शुल्क दवा उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना' सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। इस योजना की सफलता से उत्साहित होकर हमने 'मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना' भी प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है, जो कि नागरिकों को राइट-टू-हैल्थ प्रदान करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है। साथ ही राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के सफल क्रियान्वयन से मातृ व शिशु स्वास्थ्य को सम्बल मिला है।

6. किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से हमने ग्रामीण सड़कों के विकास पर विशेष बल दिया है। जहां ब्याजमुक्त ऋण योजना तथा गेहूं की प्रोक्योरमेंट बोनस योजना से किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं मुख्य मंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना से पशुपालकों को सम्बल मिला है।

7. युवा हमारे राज्य के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य हैं। युवाओं के कल्याण के लिए हमने अनेक योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन प्रारम्भ किया है, जिनमें मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना तथा राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अतिरिक्त जीविकोपार्जन हेतु कौशल विकास की विभिन्न योजनाएं प्रमुख हैं।

8. कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप ही हम वित्तीय मानकों में अपेक्षित सुधार ला सके हैं। CAG द्वारा तैयार किये गये लेखों के अनुसार राज्य का वर्ष 2011-12 का राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) 3 हजार 357 करोड़ रुपये रहा है। यह हमारे प्रभावी वित्तीय प्रबन्धन का ही परिणाम है कि राज्य, सभी वित्तीय मानकों में, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्डों पर खरा उतरा है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(श्री अशोक गहलोत)

9. बारहवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि वर्ष 2012 से 2017 है, का आकार 1 लाख 96 हजार 992 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक व्यय की तुलना में दुगने से भी अधिक है। वर्ष 2012-13, जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, के संशोधित अनुमानों के अनुसार योजनागत व्यय 36 हजार 364 करोड़ अनुमानित है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2013-14 के बजट प्रस्तावों में वार्षिक योजना का आकार 40 हजार 139 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

10. हमारी सरकार द्वारा गत चार वर्षों में लिये गये महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों एवं प्रारम्भ की गईं महत्वाकांक्षी योजनाओं से राज्य के विकास को नई दिशा मिली है। श्री राजीव गांधी द्वारा 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से निर्धारित किये गये मार्ग का अनुसरण करते हुए हमारे द्वारा पांच विभागों के बजट, कार्य और कार्मिक (funds, functions and functionaries) पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने के परिणामस्वरूप ही आज प्रदेश की ये संस्थाएं कहीं अधिक शक्तिशाली हुई हैं तथा प्रदेश के विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम सिद्ध हो रही हैं। आमजन के सशक्तिकरण (empowerment) तथा सहभागिता (participation) की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

11. हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 1 अप्रैल, 2010 के पश्चात् सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए सम्बन्धित विभागों को पूर्ण रूप से अधिकृत किया। इसके अतिरिक्त, विभागीय आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त संख्या में विभिन्न संवर्गों में पदों का सृजन भी किया गया। सरकारी विभागों में कार्य कुशलता में वृद्धि के साथ-साथ युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से हमारी सरकार द्वारा राजकीय विभागों एवं विभिन्न बोर्डों तथा निगमों में अब तक 1 लाख 43 हजार 820 नियुक्तियां दी गई हैं। राजकीय नियुक्तियों के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में भी अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2012 की अवधि में 3 लाख 40 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।

12. गत चार वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के साथ-साथ हमने प्रदेश में एक मजबूत भौतिक व आर्थिक आधारभूत ढांचे की संरचना की है। इसी दिशा में हमारे प्रयास आगामी वर्ष भी जारी रहेंगे। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी जारी)

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, ये लोग कह रहे हैं कि जांच करवाओ, तो मैं कहना चाहूंगा कि नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर यह परम्परा हो गई सदन में हमेशा के लिए तो किसी के भी हित में नहीं रहेगा। मैं अपील करना चाहूंगा, जो ये जांच की मांग कर रहे हैं... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जिस एजेंसी से आप जांच करवाना चाहो, जांच करवा लीजिये, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) किसी एजेंसी से भी। नेता प्रतिपक्ष हो...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ...आप स्वयं हो, कोई कमेटी हो। यह कैबिनेट का निर्णय है। यह इस प्रकार से परम्परा ठीक नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कृपा करके आप लोग बैठ जाओ। बजट भाषण में इस प्रकार की परम्परा ठीक नहीं रहेगी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ...आप बात कह चुके हो। मैं विपक्ष से अपील करना चाहूंगा...(व्यवधान) मैं विपक्ष से अपील करना चाहूंगा, मैं विपक्ष के साथियों से अपील करना चाहूंगा, आपने अपनी बात कह दी है। कृपा करके बजट की सैंक्टिटी को कायम रखें। ऐसा कभी किसी राज्य में होता नहीं है। किसी राज्य में हुआ नहीं है, केन्द्र में होता नहीं है। इसलिए कृपा करके बजट की जो सैंक्टिटी है, उसको भंग नहीं करें। कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाकर बैठें। कृपया बात सुनें। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी जारी)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान) आसन पांवों पर है। शांति तो रखो। आपने जांच की मांग की...(व्यवधान) अब तो यह स्पष्ट है कि आप हाउस चलने देना नहीं चाहते। (व्यवधान) अब तो यह स्पष्ट है कि आप हाउस चलने नहीं देना चाहते। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अध्यक्ष: बात सुनिये, बात सुनिये। बात सुनिये। आसन पांवों पर है। इस प्रकरण की आपने जांच की मांग की, मुख्य मंत्रीजी ने आपको जांच का आश्वासन दिया। समाप्त हो गई सारी बात। अब कृपया आप शांति से बजट को चलने दें। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब मैं कह चुका हूं अध्यक्ष महोदय, आप चाहें जिससे जांच करवा लें। इसका मैं खण्डन भी करता हूं, इस प्रकार के आरोप मिथ्या हैं। इस प्रकार से सदन के नेता प्रतिपक्ष, वे खुद जांच कर लें। आपका विश्वास अगर आपके नेता पर भी नहीं है तो दुर्भाग्य है। प्रतिपक्ष के नेता, वे खुद जांच करें। अगर आपका विश्वास आपके नेता पर भी नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। यह मैं कहना चाहूंगा रिकार्ड के अन्दर। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गुलाब चन्दजी कटारिया नेता प्रतिपक्ष हैं, वे जांच कर लें। उन पर भी विश्वास आपको नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका, पार्टी का, कभी हो ही नहीं सकता, यह मैं कहना चाहूंगा। (व्यवधान) यहां मैं प्रसिद्ध राजस्थानी कवि श्री कन्हैया लाल सेठिया की कविता के कुछ अंश उद्धृत करना चाहूंगा। (व्यवधान) कृपा करके आप विराजो। (व्यवधान) कटारियाजी, जांच कर लें। आपका विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए। उन पर भी विश्वास आपका नहीं है तो, मैं समझता हूं, वह अन्फोर्चुनेट होगा। ऐसी परम्परा कभी नहीं पड़नी चाहिए। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा अपना-अपना स्थान ग्रहण)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बनवाते हैं हाउस की...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी भी चाहते हैं कि इस विषय में जांच हो और सारा सदन व राजस्थान भी चाहता है कि इस प्रकार की अनियमितता की जांच हो। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस हाउस की कमेटी बना दें और इन सारे डाक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके, इसकी जांच करके इसी सत्र में, सत्र समाप्त होने के पहले-पहले इस जांच रिपोर्ट को हाउस में ले कर दें। अगर यह स्वीकार हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, किसी भी तरह की, किसी भी स्तर की जांच आप, आपके हाइकमान, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं; जो चाहो, जिससे चाहो, उसके पूरे डोकूमेंट्स देख लें, जांच कर लें। फैसला कैबिनेट का है। ये जो खबरें आई हैं, बिलकुल ही मिथ्या हैं। मैं इसका खण्डन करता हूं। अगर कोई इस तरह की बात करते हैं कि आपके साले का, साले का, साले का, समधी का, इस प्रकार की मिलाकर आप किसी की बात करोगे तो इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि बजट सेशन की अलग सैंक्टिटी है पूरे देश के अन्दर, प्रदेश में, केन्द्र में, इसको बनाने में आप सहयोग करें। जो मैंने कह दिया, आपको अधिकृत कर दिया; अध्यक्ष महोदय, जो फैसला आप दोगे, वह मुझे मंजूर होगा। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब मैंने कह दिया आप अपने नेता का कम से कम, अभी नये-नये नेता बने हैं आपके, कृपा करके उन पर आप लोग विश्वास करो, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं सब जांच करवा दूंगा, चिंता मत करो। सबकी जांच हो जायेगी। आप कृपा करके, यह मैं आपसे बार-बार निवेदन करूंगा कि कोई परम्परा पड़ सकती है। आप चाहेंगे तो मैं बजट पढूं? अगर मैं नहीं पढ़ पाया, मान लीजिये, पहले भी आपने कई बार इस तरह की स्थितियां पैदा की हैं कि मैं अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब नहीं दे पाया, फाइनेंस बिल पर जवाब नहीं दे पाया, यह तो परम्परा पहली बार ही इस हाउस में हुई है। कृपा करके, आगे ऐसी परम्परा नहीं हो। आज बजट का एक पवित्र दिवस है, उसमें पक्ष-प्रतिपक्ष, सब मिलकर हम कैसे, जो राजस्थान के

(श्री अशोक गहलोत)

भविष्य की दिशा तय करेगा, कृपा करके, मैंने सबसे पहले आप सबको, पूरे हाउस के मेम्बर्स को बधाई दी है कि मिस्टर मोइली जो केन्द्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मुझे कल टेलीफोन करके बधाई दी; मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज राजस्थान में एच.पी.सी.एल. द्वारा रिफाइनरी की घोषणा हो गई है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको भी इस पर तो कम से कम ताली बजानी चाहिए। आप लोग बैठे हुए हो। रिफाइनरी आ रही है, रिफाइनरी आ रही है, भई। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि जिस रिफाइनरी के लिए आप और हम पिछले लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं, इस हाउस में आप लोगों ने भी, जब हमारी सरकार थी, तब इस विषय को उठाया; हमने भी आपकी सरकार के वक्त इस विषय को उठाया; मैं यह कह रहा हूं कि यह राजस्थान के लिए आई है, यह स्वागत योग्य है। इसमें कौन ना कह रहा है? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यहां मैं, अध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों से...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है, जो पैट्रोल बाहर निकल गया ना, वह हवा में नहीं उड़ने वाला था। आज नहीं तो कल, उस पर रिफाइनरी आनी थी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...यह कहकर कोई, यह चार साल पहले होता तो राजस्थान की स्थिति आज दूसरी होती। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 12. अध्यक्ष महोदय, गत चार वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के साथ-साथ हमने प्रदेश में एक मजबूत भौतिक व आर्थिक आधारभूत ढांचे की संरचना की है। इसी दिशा में हमारे प्रयास आगामी वर्ष भी जारी रहेंगे।

13. यहां पर मैं प्रसिद्ध राजस्थानी कवि श्री कन्हैया लाल सेठिया की कविता के कुछ अंश उद्धृत करना चाहूंगा-

(श्री अशोक गहलोत)

''सबके कुशलक्षेम का इच्छुक, सबमें सत है मेरी निष्ठा,
सबकी सेवा इष्ट मुझे है, सबकी प्रिय है मुझे प्रतिष्ठा,
सब ही मेरे सखा-बंधु हैं, मैं सबके तन की परछाई,
मेरा है सम्बन्ध सभी से, सबसे मेरी स्नेह सगाई।''
यह मैं अपनी भावना प्रकट कर रहा हूं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग:

14. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य की सड़कों के विकास पर गत चार वर्षों में 9,500 करोड़ रुपये से अधिक राशि का व्यय कर सड़क तंत्र को मजबूत किया गया। प्रदेश के 7,900 किलोमीटर लम्बाई के राज्य राजमार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं चौड़ा करने के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, 1,500 किलोमीटर मिसिंग लिंक के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं 2,300 किलोमीटर के कार्य प्रगति पर हैं। धार्मिक महत्व की 1,700 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, जिनसे 624 धार्मिक स्थलों पर जाने वाले दर्शनार्थियों को सुविधा होगी।

15. सामान्य क्षेत्र में आने वाले 250 से 499 तक की आबादी के गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत 2,442 किलोमीटर लम्बाई की नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर 663 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है एवं 1 हजार 337 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। शेष ऐसे 1 हजार 400 गांवों को भी सड़कों से जोड़ने का कार्य विश्व बैंक की सहायता से दो चरणों में किया जायेगा। प्रथम चरण में 517 गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा, जिसके लिए विश्व बैंक की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है।

16. वर्ष 2001 की जनगणना के पश्चात् घोषित नये राजस्व गांवों में से सड़क सुविधा से वंचित 546 गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ने की योजना है। प्रथम चरण में आगामी वर्ष ऐसे 195 गांवों को 172 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों से जोड़ने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

17. प्रदेश के 100 से अधिक और 250 से कम आबादी के गांवों को भी चरणबद्ध रूप से सड़कों से जोड़ने की मैं घोषणा करता हूं। प्रथम चरण में आगामी वर्ष ऐसे 500 गांवों को 585 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों से जोड़ा जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

18. गत दो वर्षों में बजट घोषणा के अन्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र में 30 से 40 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य किया गया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आगामी वर्ष में भी 650 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 6 हजार किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य करवाये जाने की मैं घोषणा करता हूं।

19. आगामी वर्ष बी ओ टी आधार पर 2 हजार 743 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 712 किलोमीटर लम्बाई की 21 सड़कों के निर्माण कार्य हाथ में लिये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल लम्बाई	कुल लागत
1	2	3	4
1	किशनगढ़बास-खैरथल-बानसूर-कोटपूतली	65 किलोमीटर	192 करोड़ रुपये
2	गंगापुर-नादोती-सिकंदरा	64 किलोमीटर	129 करोड़ रुपये
3	दौसा-चाकसू-फागी-दूदू	64 किलोमीटर	96 करोड़ रुपये
4	कोटा-सांगोद-कवई	98 किलोमीटर	168 करोड़ रुपये
5	सुकेत-पिपलिया-भवानीमंडी-डग-चौमेहला सीतामऊ (मध्य प्रदेश सीमा तक)	127 किलोमीटर	200 करोड़ रुपये
6	बाली-पिंडवाड़ा	63 किलोमीटर	100 करोड़ रुपये
7	टौंक-नगर-नैनवां-कटकड़-केशोरायपाटन	116 किलोमीटर	170 करोड़ रुपये
8	रावतभाटा-मोड़क-रामगंजमंडी-उडंवा (मध्य प्रदेश सीमा तक)	77 किलोमीटर	150 करोड़ रुपये
9	रामगढ़ (जयपुर)-नकची घाटी-आंधी-झिरी-गुढाकिशोरी	60 किलोमीटर	90 करोड़ रुपये

(श्री अशोक गहलोत)

1	2	3	4
10	भीलवाड़ा-बागौर-रायपुर-देवगढ़	61 किलोमीटर	120 करोड़ रुपये
11	नादौती-श्रीमहावीरजी-खेडा	31 किलोमीटर	60 करोड़ रुपये
12	जस्टाना-बौंली-निवाई	52 किलोमीटर	100 करोड़ रुपये
13	मंगलवाड़-डूंगला-बड़ी सादड़ी-नीमच	90 किलोमीटर	135 करोड़ रुपये
14	उदयपुर-सलूम्बर	70 किलोमीटर	100 करोड़ रुपये
15	देबारी-कुरावड़-बम्बोरा	43 किलोमीटर	60 करोड़ रुपये
16	खेतड़ी-निजामपुर (हरियाणा राज्य सीमा तक)	41 किलोमीटर	60 करोड़ रुपये
17	जोधपुर-सरदारसमंद-मारवाड़ जंक्शन जोजावर	131 किलोमीटर	200 करोड़ रुपये
18	रातड़ी-आसोप-गोटन	46 किलोमीटर	70 करोड़ रुपये
19	सोजत सिटी-देसूरी	90 किलोमीटर	135 करोड़ रुपये
20	बाड़ी-बसेड़ी-बयाना-वैर-भुसावर-छौंकरवाड़ा-खेड़ली-नगर-पहाड़ी (हरियाणा राज्य सीमा तक)	175 किलोमीटर	280 करोड़ रुपये
21	भटेवर-वासी-धरियावद-प्रतापगढ़-मंदसौर (राज्य सीमा तक)	148 किलोमीटर	128 करोड़ रुपये

20. राष्ट्रीय राजमार्ग के बर-बिलाड़ा खण्ड को 500 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन में विकसित करने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त, बेणेश्वर धाम को जोड़ने वाली, गनोड़ा से बेणेश्वर एवं लुहारिया से बेणेश्वर तक की 18 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को दो लेन में विकसित किया जायेगा। साथ ही, कवई-सालपुरा से धर्नावद में पार्वती नदी तक के 47.5 किलोमीटर लंबाई के राज्य मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया जायेगा। इसकी लागत 82 करोड़ रुपये अनुमानित है।

21. टोंक जिले में केकड़ी से देवली के सड़क मार्ग पर 60 करोड़ रुपये की संशोधित लागत से नेगड़िया पुल के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया

(श्री अशोक गहलोत)

जायेगा। इस पुल के निर्माण के फलस्वरूप देवली एवं टोडारायसिंह तहसील मुख्यालयों को जोड़ा जा सकेगा।

22. आगामी वर्ष प्रदेश में रेलवे फाटक रहित स्थानों पर 28 आर यू बी का निर्माण करवाया जायेगा जिस पर लगभग 65 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसके अतिरिक्त, निम्नानुसार 15 रेलवे ओवर-ब्रिज (आर ओ बी) के निर्माण का कार्य भी हाथ में लेना प्रस्तावित है:-

जिला	स्थान
अजमेर	अजमेर में सम्पर्क सड़क सुभाष नगर पर
	अजमेर में डेयरी संपर्क सड़क पर
पाली	सोजत रोड रेलवे स्टेशन के पास
	जैतपुर-खोड-जवाली सड़क पर जवाली गांव के पास
	फालना-रानी-केमल-नाडोल सड़क पर बीजोवा गांव के पास
	चानोद-कैनपुरा-रानी-मुण्डारा सड़क पर रानी स्टेशन के पास
	जवाई बांध-बलवाना-बीसलपुर सड़क पर बलवाना गांव के पास
सिरोही	पिंडवाड़ा शहर में अजरी सड़क पर
	आबू रोड सिटी में गांधीनगर के पास
	पिण्डवाड़ा शहर में सिरोही रोड पर
सीकर	शाहपुरा-चिड़ावा सड़क पर मवाण्डा गांव के पास
	शाहपुरा-चिड़ावा सड़क पर गसीपुरा के पास
	श्रीमाधोपुर में
जयपुर	बोराज-बंधे के बालाजी-फुलेरा सड़क पर
	हिरनोदा काचरोदा गांव के बीच
	दूदू-सांभर सड़क पर भांवसा-नरैना के बीच

(श्री अशोक गहलोत)

23. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों एवं चंबल के सिंचित क्षेत्र की सड़कों का हस्तांतरण सार्वजनिक निर्माण विभाग को कर इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

24. ग्रामीण सड़कों, मिसिंग लिंक, क्षतिग्रस्त सड़कों एवं धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों तथा क्षेत्र विशेष की परिवहन संबंधी विशेष समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों के निर्माण एवं अपग्रेडेशन के उद्देश्य से विशेष सड़क निर्माण निधि बनाने की मैं घोषणा करता हूं। इस निधि के माध्यम से आगामी वर्ष 500 करोड़ रुपये की लागत के कार्य करवाये जायेंगे।

ऊर्जा :

25. हमने प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गत चार वर्षों में राज्य की उत्पादन क्षमता में 4 हजार 628 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता 11 हजार 168 मेगावाट हो गई है। इसके अतिरिक्त, निकट भविष्य में राज्य क्षेत्र में 960 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 795 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का कार्य भी पूर्ण कर लिया जायेगा। आगामी वर्ष विभिन्न उत्पादन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में 900 मेगावाट एवं निजी क्षेत्र में 660 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का सृजन होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र में 2 हजार 800 मेगावाट एवं निजी क्षेत्र में 320 मेगावाट क्षमता की उत्पादन परियोजनाओं पर आगामी वर्ष कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

26. विगत चार वर्षों में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता में 1 हजार 728 मेगावाट की वृद्धि के फलस्वरूप राज्य की पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 2 हजार 383 मेगावाट हो गई है। राज्य में, जुलाई 2012 में, नई पवन ऊर्जा नीति जारी की गई है, जिससे पवन ऊर्जा उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2013-14 में 400 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करना प्रस्तावित है।

27. राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन एवं राज्य की सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत 1 हजार 185 मेगावाट क्षमता की 108 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा अब तक 436 मेगावाट क्षमता की 65 परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। शेष परियोजनाओं पर वर्ष 2013-14 में

(श्री अशोक गहलोत)

कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन क्षमता में राज्य, देश में सर्वोच्च स्थान पर आ जायेगा।

28. घरों में उपयोग हेतु Solar Energy System की स्थापना के लिए लागत की 30 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। घरों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा भी Solar Energy System की स्थापना पर 20 प्रतिशत की दर से अनुदान देने की मैं घोषणा करता हूं।

29. वर्ष 2013-14 में 400 केवी के 2 तथा 220 एवं 132 केवी के 28 जी एस एस का कार्य पूर्ण किया जायेगा तथा 220 एवं 132 केवी के 25 नये ग्रिड सब-स्टेशनों का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, 33 केवी के 400 नये सब-स्टेशन भी स्थापित किये जायेंगे। सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के निस्तारण हेतु अंता, जिला बारां तथा फागी जिला जयपुर में 765 केवी के दो ग्रिड सब-स्टेशनों का 1 हजार 472 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2013-14 में इसे पूर्ण करना प्रस्तावित है। प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु पीपीपी माडल पर 474 करोड़ रुपये की लागत की 2 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 602 करोड़ रुपये की लागत की 2 परियोजनाओं, जयपुर (उत्तर) एवं उदयपुर पर वर्ष 2013-14 में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

30. हमने शासन सम्भालने के तुरन्त बाद यह घोषणा की थी कि कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों में 5 वर्ष तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जायेगी। इस घोषणा के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं, बी पी एल परिवारों एवं लघु घरेलू उपभोक्ताओं हेतु प्रभावी विद्युत दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई एवं नियामक आयोग के अवार्ड के परिणामस्वरूप दरों में वृद्धि का भार राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10 में विद्युत दरों के पेटे वितरण निगमों को जहां 281 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया गया था, वहीं वर्ष 2012-13 में 2 हजार 386 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 2013-14 में इस पेटे 4 हजार 750 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

31. राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण की दृष्टिसे केन्द्र सरकार की योजना के अनुरूप इन कम्पनियों के अल्पकालीन ऋणों को re-structure किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, कृषकों को खरीफ व

(श्री अशोक गहलोत)

रबी फसल के दौरान 6 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के पेटे अतिरिक्त विद्युत खरीद का भार भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस प्रकार, विद्युत वितरण कम्पनियों को चालू वर्ष में लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है एवं आगामी वर्ष में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।

32. विद्युत वितरण निगमों द्वारा गत चार वर्षों में 2 लाख 46 हजार 657 कृषि कनेक्शन जारी किये गये। कृषि कनेक्शन जारी करने की लागत में पिछले 9 वर्षों में लगभग तीन गुना वृद्धि हो चुकी है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने कृषकों द्वारा जमा करायी जा रही राशि में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है तथा इस हेतु 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके साथ ही, वर्ष 2013-14 में 75 हजार नये कृषि कनेक्शन देने की मैं घोषणा करता हूं।

33. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 हजार से अधिक आबादी वाले 532 गांवों के आबादी क्षेत्रों में थ्री-फेज विद्युत आपूर्ति हेतु 11 केवी के पृथक फीडर स्थापित किये जा चुके हैं। हमारी योजना है कि चरणबद्ध रूप से यह सुविधा प्रदेश के सभी पंचायत मुख्यालयों पर उपलब्ध करवाई जाये। आगामी वर्ष 4 हजार से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में थ्री-फेज विद्युत आपूर्ति हेतु 11 केवी के पृथक फीडर स्थापित करना प्रस्तावित है। इन फीडरों की स्थापना पर लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

34. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी राजस्व गांवों एवं 300 से अधिक आबादी वाली ढाणियों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अन्तर्गत 100 से 300 तक की आबादी वाली 15 हजार 149 ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु 1 हजार 356 करोड़ रुपये की 32 योजनायें बनाकर केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं।

35. गत बजट में 100 से कम आबादी वाली ढाणियों के परिवारों को 300 करोड़ रुपये की लागत से दो वर्ष में 60 हजार विद्युत कनेक्शन जारी करने की घोषणा की गई थी। आगामी वर्ष में 40 हजार नये विद्युत कनेक्शन 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में दिये जायेंगे। इस प्रकार, वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कुल मिलाकर 1 लाख नये विद्युत कनेक्शन दिये जायेंगे, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल 400 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

36. सूर्यनगरी के नाम से विख्यात जोधपुर शहर में रूफ-टाप पावर जनरेशन स्कीम लागू कर इसे एक सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

37. ऊर्जा की बचत के उद्देश्य से राज्य के बी पी एल परिवारों एवं ढाणियों में निवास करने वाले 50 लाख परिवारों को दो-दो सी एफ एल (Compact Flourescent Lamp) नि:शुल्क उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करता हूं। इस कार्यक्रम पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा 150 मेगावाट विद्युत की बचत होगी।

जल संसाधन :

38. गत चार वर्षों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित जल संसाधन की विभिन्न परियोजनाओं पर 2 हजार 630 करोड़ रुपये का व्यय किया जाकर 1 लाख 86 हजार 460 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर का निर्माण एवं 1 हजार 300 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण हो चुका है। गत 3 वर्षों में इस परियोजना के अन्तर्गत 1 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वर्ष 2013-14 में 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

39. Japanese International Co-operation Agency (JICA) द्वारा पोषित राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना का कार्य वर्ष 2005 में स्वीकृति के पश्चात् भी वर्ष 2008 तक वास्तविक रूप से प्रारम्भ नहीं हो सका था। वर्तमान सरकार द्वारा इस परियोजना को गति प्रदान कर अब तक 16 हजार 692 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2013-14 में 43 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

40. राज्य के कुछ नदी बेसिनों में वर्षा के समय अतिरिक्त पानी बहकर राज्य से बाहर चला जाता है। ऐसे बहकर जाने वाले पानी का राज्य में ही उपयोग करने की दृष्टि से चंबल से अलवर के जयसमंद बांध में, मेज नदी से जयपुर के रामगढ़ बांध में, माही से जयसमंद, राजसमंद एवं मेजा में पानी लाने हेतु केन्द्र के सहयोग से परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से रास्ते में आने वाले तालाबों में भी जल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

41. बनास नदी पर बीसलपुर के डाउन स्ट्रीम में स्थित ईसरदा बांध का 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

42. काली सिंध वृहद सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण, जिसकी लागत लगभग 228 करोड़ रुपये है, का कार्य केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर आगामी वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा। इस परियोजना से झालावाड़ एवं कोटा जिलों के 91 गांवों में 14 हजार 478 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

43. बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना की हरिदेव जोशी नहर से वंचित क्षेत्र तथा पाटन क्षेत्र में 21 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निर्माण कार्य करवाना प्रस्तावित है।

44. वर्ष 2013-14 में 228 करोड़ रुपए की 14 नई लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	जिला	परियोजना
1.	बूंदी	बड़ा नया गांव
2.	चित्तौड़गढ़	मालादेवी
3.	झालावाड़	बोरबंद
4.	डूंगरपुर	वारडोल का नाका
5.	उदयपुर	साबरमती द्वितीय
6 से 10	बांसवाड़ा	भीखाभाई सागवाड़ा नहर सप्तम, अष्टम, नवम, दशम तथा एकादश चरण
11.	जालौर	सावीदार
12.	बांसवाड़ा	नाका वाला
13.	चित्तौड़गढ़	धांधड़ा
14.	उदयपुर	उबापन

45. आगामी वर्ष जल संग्रहण हेतु निम्नानुसार एनिकटों का निर्माण कार्य हाथ में लेना प्रस्तावित है:-

बारां जिले की शाहबाद तहसील में करई नदी पर विभिन्न स्थानों पर 22 करोड़ रुपए की लागत से 8 एनिकटों का निर्माण।

(श्री अशोक गहलोत)

धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील में बोथपुरा, बरैठा, रांडौली, हथवारी एवं छीतरपुरा के पास 71 करोड़ रुपए की लागत से 5 एनिकटों का निर्माण।

सांगोद-अंता मार्ग पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से एनिकट का निर्माण।

गंगापुर सिटी में भाई का नाला एवं जीवद नदी पर 7 करोड़ रुपए की लागत से 2 एनिकटों का निर्माण।

दौसा में खोराकलां, बिहारीपुरा, तिवारी वाली कोठी और बानेका बरखेड़ा में एनिकटों का निर्माण।

चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में मनोहर खेड़ी और गुंदारेल एनिकटों का 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्माण।

बारां जिले में अंधेरी नदी पर एनिकट का निर्माण।

उदयपुर जिले की सराड़ा तहसील में 43 करोड़ रुपए की लागत से देवेन्द्र एनिकट का निर्माण।

46. हनुमानगढ़ की भाखरा नहर प्रणाली की इंदरगढ़ माइनर को पक्का करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा, ताकि अंतिम छोर तक जल पहुंचाकर काश्तकारों को लाभान्वित किया जा सके। सरहिंद फीडर के बैकफ्लो को रोकने हेतु 5 करोड़ रुपए की लागत से बुर्जी संख्या 441.5 पर क्रोस रेगुलेटर का निर्माण करवाया जाएगा।

47. उदयपुर जिले में साबरमती बेसिन से पिछोला झील में 1 हजार MCFT जल पहुंचाने के लिए मोहनलाल सुखाड़िया तृतीय एवं चतुर्थ चरण की परियोजना हेतु सर्वे एवं अनुसंधान के साथ प्लानिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

48. वित्तीय वर्ष 2013-14 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण तथा भाखड़ा परियोजना के 650 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार के कार्य प्रारम्भ करना मैं प्रस्तावित करता हूं।

49. आगामी वर्ष, सोमकागदर परियोजना जिला उदयपुर, राणा प्रताप सागर जिला चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर जिला बूंदी, कोटा बैराज जिला कोटा,

(श्री अशोक गहलोत)

माही परियोजना जिला बांसवाड़ा, जयसमंद फीडर जिला अलवर, पार्वती बांध जिला धौलपुर, बीसलपुर बांध जिला टोंक, इत्यादि परियोजनाओं के 189 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, भीलवाड़ा के लड़की बांध व नहर का 3 करोड़ रुपए की लागत से पुनरुद्धार का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। साथ ही, बारां जिले की परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना के पिक-अप वियर की ऊंचाई 22 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 मीटर बढ़ाये जाने का कार्य भी हाथ में लिया जायेगा।

50. आगामी वर्ष 6 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर जिले के अंबापुर बांध, 21 करोड़ रुपए की लागत से पाली जिले के धारिया बांध एवं 3 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर जिले के बौरुंदा बांध के पुनरुद्धार के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

सिंचित क्षेत्र विकास :

51. गत बजट में मैंने चंबल नदी के सम्पूर्ण सिंचाई तंत्र के जीर्णोद्धार हेतु 1 हजार 274 करोड़ रुपए की परियोजना क्रियान्वित करने की घोषणा की थी। इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में चंबल सिंचाई तंत्र में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने एवं पानी के अपव्यय को रोकने के लिए चंबल की दायीं मुख्य नहर में 60 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्थानों पर क्रोस रेगुलेटर स्थापित करने के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। साथ ही, चंबल नहर तंत्र के रख-रखाव पर 50 करोड़ रुपए व्यय किये जायेंगे ताकि कोटा, बूंदी और बारां जिलों में नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना सुनिश्चत किया जा सके।

52. हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में भाखड़ा सिंचाई परियोजना में 460 करोड़ रुपए की लागत से 1.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खालों को पक्का करने की योजना का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रारम्भ किया जायेगा।

पेयजल :

53. आगामी वर्ष 3 हजार गांवों एवं ढाणियों में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 600 अनुसूचित जाति, 400 अनुसूचित जनजाति एवं 150 अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव एवं ढाणियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में पेयजल की आपूर्ति हेतु आगामी वर्ष 20 हजार हैंडपम्प स्थापित करना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

54. राज्य की अधिकांश जल प्रदाय योजनाएं भू-जल पर आधारित हैं तथा असमान वर्षा के कारण नलकूपों एवं कुओं के जल स्तर में गिरावट होने के परिणामस्वरूप पेयजल व्यवस्था प्रभावित होती है। अत: पेयजल योजनाओं को अबाध रूप से कार्यशील रखने तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आगामी वर्ष 250 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की मैं घोषणा करता हूं।

55. भूमिगत जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन से राज्य के 249 ब्लाक्स में से केवल 31 ब्लाक्स ही सुरक्षित रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में यथा सम्भव पेयजल योजनाओं को सतही जलस्रोतों पर आधारित करना आवश्यक हो गया है। राज्य में इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, चंबल नदी, बीसलपुर बांध, जवाई बांध, माही बांध तथा कतिपय अन्य बांध एवं एनिकट्स ही मुख्य सतही जलस्रोत हैं। इन स्थायी सतही जलस्रोतों से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की 85 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनसे 84 शहरों एवं 12 हजार 770 गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इनमें से 31 शहरों एवं 2 हजार 683 गांवों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष 53 शहरों एवं 10 हजार 87 गांवों को लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।

56. नागौर जिले के 890 गांवों एवं 6 शहरों को इंदिरा गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ''नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना, फेज द्वितीय'' की पूर्व में घोषणा की गई थी। इस परियोजना के वित्त पोषण हेतु जायका से 2 हजार 212 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए अनुबंध कर लिया गया है। परियोजना की क्रियान्विति शीघ्र प्रारम्भ कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त, परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर से बीकानेर जिले के 148 गांवों को लाभान्वित करने के 404 करोड़ रुपए की लागत के कार्य करवाना भी प्रस्तावित है।

57. प्रदेश के विभिन्न जिलों के समस्याग्रस्त गांवों एवं कस्बों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 18 नई परियोजनाओं के अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कलस्टर विकास, इत्यादि के कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. इंदिरा गांधी नहर से पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाणा परियोजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के बायतु, पचपदरा, सिवाणा, गुढामालानी एवं शिव तहसीलों के 403 समस्याग्रस्त गांवों हेतु 485 करोड़ रुपए की परियोजना।

(श्री अशोक गहलोत)

2. बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के 322 समस्याग्रस्त गांवों को नर्मदा नहर की एलएल एवं एलयू से आरडी-74 से लाभान्वित करने की 540 करोड़ रुपए की परियोजना। इसके साथ ही, नर्मदा नहर से गुढ़ामालानी एवं शिव तहसीलों के 345 समस्याग्रस्त गांवों को जोड़ने की 490 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना।

3. जोधपुर जिले की औसियां तहसील के समस्याग्रस्त 59 गांवों को पांचला-गेवरा-चिराई पेयजल परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु 381 करोड़ रुपए की परियोजना।

4. पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर एवं जैतारण तहसीलों के शेष रहे समस्याग्रस्त 215 गांवों एवं मारवाड़ जंक्शन तथा जैतारण कस्बों को 390 करोड़ रुपए की लागत से जवाई बांध से लाभान्वित करने की परियोजना।

5. भरतपुर जिले की डीग-नगर, कामां-पहाड़ी, कुम्हेर, सैपऊ एवं रूपवास तहसीलों के 660 गांवों को चंबल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु 721 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना।

6. जालौर की सांचौर बागौड़ा, सायला, जालौर एवं आहोर तहसील के समस्याग्रस्त 281 गांवों को नर्मदा एफ आर वृहद परियोजना से लाभान्वित करने हेतु 325 करोड़ रुपए लागत की परियोजना।

7. जालौर जिले की भीनमाल, रानीवाड़ा एवं सांचौर तहसीलों के 138 समस्याग्रस्त गांवों एवं सांचौर कस्बे को, नर्मदा डी आर वृहद परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने की 150 करोड़ रुपए लागत की परियोजना।

8. जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी एवं फागी तहसीलों के 646 समस्याग्रस्त गांवों को बीसलपुर-दूदू परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु 771 करोड़ रुपए लागत की परियोजना।

9. जयपुर जिले की सांभर तहसील के 174 समस्याग्रस्त गांवों को बीसलपुर-दूदू परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु 175 करोड़ रुपए लागत की परियोजना।

(श्री अशोक गहलोत)

10. बीसलपुर बांध से ब्यावर-नसीराबाद वृहद पेयजल परियोजना के तहत निर्माणाधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर से अजमेर जिले की ब्यावर तहसील के शेष रहे 199 समस्याग्रस्त गांवो को लाभान्वित करने हेतु 250 करोड़ रुपए लागत की परियोजना।

11. बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों के समस्याग्रस्त 329 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों को 425 करोड़ रुपए की लागत से माही बांध बैक-वाटर स्रोत से जोड़ने एवं कलस्टर विकास की परियोजना।

12. बांसवाड़ा जिले के 18 समस्याग्रस्त गांवों को 195 करोड़ रुपए की लागत से सुरवाणियां बांध से जोड़ने की परियोजना।

13. झालावाड़ जिले की पिड़ावा, गंगधार एवं पचपहाड़ तहसीलों के 321 गांवों एवं पिड़ावा कस्बे को निर्माणाधीन गागरीन बांध से जोड़ने की 325 करोड़ रुपए लागत की परियोजना।

14. झालावाड़ जिले की पचपहाड तहसील के 12 समस्याग्रस्त गांवों एवं भवानी मंडी तथा सुनेल कस्बों को निर्माणाधीन पीपलाद बांध से जोड़ने की 50 करोड़ रुपए लागत की परियोजना।

15. बारां जिले के समस्याग्रस्त 50 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 72 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती नदी पर एनिकट बनाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित कलस्टर विकास की वृहद परियोजना।

16. चंबल-भीलवाड़ा वृहद पेयजल परियोजना के अन्तर्गत विकसित हो रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर से भीलवाड़ा जिले के 1 हजार 688 समस्याग्रस्त गांवों एवं 8 कस्बों को जोड़ने की 1 हजार 376 करोड़ रुपए की परियोजना।

17. राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना, जोधपुर से बावड़ीकलां, खारा एवं जलोड़ा जल प्रदाय योजनान्तर्गत 120 करोड़ रुपए की लागत से फलौदी तहसील के 43 समस्याग्रस्त गांवों में जलापूर्ति की परियोजना।

18. राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना, जोधपुर से घटोर, कानासर एवं बाप जल प्रदाय योजनान्तर्गत 90 करोड़ रुपए की लागत से फलौदी तहसील के 25 समस्याग्रस्त गांवों में जलापूर्ति की परियोजना।

(श्री अशोक गहलोत)

58. कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत झुन्झुनूं के 186 गांवों एवं खेतड़ी के 85 गांवों तथा खेतड़ी, गोठड़ा, बग्गड़, मंडावा एवं झुंझुनूं शहरों हेतु 995 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल परियोजना का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

59. ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु आगामी वर्ष RO तकनीक पर आधारित एक हजार संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

60. माननीय अध्यक्ष महोदय, हृदय, कैंसर अथवा किडनी के रोग से ग्रस्त ऐसे मरीजों, जिनकी वार्षिक आय 60 हजार रुपए तक है, को इलाज हेतु अनुमानित ख़र्चे की 40 प्रतिशत राशि, अधिकतम 60 हजार रुपए, मुख्य मंत्री सहायता कोष से उपलब्ध करवाये जाते हैं। अब मैं घोषणा करता हूं कि एक लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ए पी एल परिवारों के, सबसे ज्यादा केस हमारे साथियों के आते हैं पक्ष-विपक्ष के और बहुत बड़ी इनसे लोगों की भलाई हो रही है पर ताली फिर भी नहीं बजती है। बजाओ, भाई। कितने लोगों को मिले हैं! मना नहीं है किसी को। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इन रोगों से ग्रस्त मरीजों को चिकित्सा हेतु एक लाख रुपए तक की राशि मुख्य मंत्री सहायता कोष से उपलब्ध करवाई जायेगी। बी पी एल परिवारों के मरीजों को ''मुख्य मंत्री बी पी एल जीवनरक्षा कोष'' से राजकीय चिकित्सालयों में सम्पूर्ण इलाज नि:शुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही, अब हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग का इलाज चिह्नित निजी चिकित्सालयों में करवाने पर एक लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

61. मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 की जा रही है। राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 14 हजार 737 दवा वितरण केन्द्रों के माध्यम से दवायें वितरित की जा रही हैं। योजना के प्रथम वर्ष में लगभग 7 करोड़ 63 लाख रोगी लाभान्वित हुए हैं। योजना के लागू होने के बाद आउटडोर में लगभग 46 प्रतिशत तथा इंडोर में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

62. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल, 2013 से मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना प्रारम्भ करने का

(श्री अशोक गहलोत)

निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों (Medical College Hospitals), जिला चिकित्सालयों (District Hospitals), उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में ईसीजी, एक्सरे, सोनोग्राफी एवं अन्य आवश्यक जांचों की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के 86 चिकित्सालयों में ईसीजी, एक्सरे एवं सोनोग्राफी मशीनों एवं आटोएनेलाईजर्स, इत्यादि की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चत की जायेगी। द्वितीय चरण में प्रदेश के सभी 428 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों(CHC) में एक्सरे व ईसीजी सहित आवश्यक जांचें दिनांक 1 जुलाई, 2013 से एवं तृतीय चरण में प्रदेश के सभी 1 हजार 649 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC) एवं 195 सिटी डिस्पेंसरियों में दिनांक 15 अगस्त, 2013 से आवश्यक जांचों की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी।

63. प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में एक-एक करोड़ रुपए की लागत से तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) में 50-50 लाख रुपए की लागत से धर्मशालाओं का चरणबद्ध रूप से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, ताकि बाहर से आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को रुकने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।

64. हमारी एक अन्य फ्लैगशिप योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। माह अक्टूबर, 2011 से प्रारम्भ हुई इस योजना के अन्तर्गत अब तक 10 लाख 47 हजार संस्थागत प्रसव हुए, 16 लाख 40 हजार महिलाओं एवं 3 लाख 16 हजार शिशुओं को नि:शुल्क दवा तथा 98 लाख महिलाओं एवं 85 हजार शिशुओं को नि:शुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई हैं। आगामी वर्ष 1-1 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों (District Hospitals) में लेबर रूम्स का उच्चीकरण एवं मरम्मत के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

65. वर्ष 2013-14 में 50 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) स्थापित करने एवं 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) में क्रमोन्नत करने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त, 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले जायेंगे। साथ ही, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आगामी वर्ष 1 हजार शय्याओं की वृद्धि की जायेगी, जिनमें निम्न स्थानों पर स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी शामिल हैं:-

(श्री अशोक गहलोत)

चित्तौड़गढ़ में बेगूं, रावतभाटा और गंगरार, बारां में छबड़ा, अंता और मांगरोल, जोधपुर में फलौदी, अजमेर में नसीराबाद, भीलवाड़ा में जहाजपुर एवं जैसलमेर में पोकरण।

66. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य रहा है। इस दृष्टि से निजी चिकित्सालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की एक योजना प्रस्तावित की जा रही है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाएं अपेक्षाकृत कम हैं, वहां न्यूनतम 1 करोड़ रुपये की लागत से अस्पताल स्थापित करने पर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिये जाने की मैं घोषणा करता हूं। इस अनुदान की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये होगी। जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में अस्पताल की लागत का 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा अनुदान की अधिकतम सीमा 1 करोड़ 20 लाख रुपये होगी। प्रथम चरण में, जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की प्रत्येक तहसील में ऐसे दो-दो तथा अन्य क्षेत्रों की प्रत्येक तहसील में ऐसे एक-एक अस्पताल खोलने हेतु अनुदान दिया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों जैसी चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी।

67. गत 4 वर्षों में 3 हजार 225 चिकित्साधिकारियों एवं 64 दंत चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति की गई। वर्तमान में 1 हजार 301 चिकित्साधिकारियों एवं 258 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गत दिनों में निःशुल्क जांच योजना के क्रियान्वयन हेतु चिकित्सकों एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों के 8 हजार से अधिक पद और स्वीकृत किये गये हैं, जिन पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आगामी वर्ष खोले जाने वाले नये केन्द्रों तथा निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना के संचालन हेतु चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों, लैब टेक्नीशियनों एवं एन एन एम, इत्यादि के 20 हजार पद सृजित किये जायेंगे।

68. मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2013-14 में '108 एम्बुलेंस' की संख्या में 100 एम्बुलेंस की बढ़ोतरी के साथ-साथ 200 जननी एक्सप्रेस भी उपलब्ध करवाई जायेंगी। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों हेतु 212 नई एम्बुलेंस क्रय की जायेंगी। इन एम्बुलेंसों के संचालन हेतु वाहन चालकों के पद भी सृजित किये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

चिकित्सा शिक्षा :

69. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तत्वावधान में जयपुर में एक और नया चिकित्सा महाविद्यालय (Medical college) स्थापित किया जायेगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ××× ...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इस महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि के लिए 45 करोड़ रुपये तथा भवन एवं अन्य आवश्यक आधारभूत ढांचे हेतु 50 करोड़ रुपये का अंशदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, 300 एवं उससे अधिक शय्याओं वाले 15 जिला चिकित्सालयों, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, पाली, सीकर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर एवं श्रीगंगानगर में चिकित्सा महाविद्यालय (Medical college) स्थापित करने की योजना है। इन 15 स्थानों पर चरणबद्ध रूप से राजकीय अथवा PPP (Public Private Partner-ship) पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालय (Medical college) स्थापित किये जायेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 70. चिकित्सा महाविद्यालयों (Medical colleges) से सम्बद्ध चिकित्सालयों में 1 हजार 250 शय्याओं की वृद्धि की जायेगी। इस हेतु 1 हजार 175 नवीन पदों का सृजन किया जायेगा एवं उपकरण, इत्यादि पर लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके साथ ही, रोगियों की बेहतर देखभाल हेतु नर्सिंग संवर्ग के विभिन्न कैडर्स के लगभग 4 हजार 475 नवीन पद सृजित किये जायेंगे। नि:शुल्क जांच योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2 हजार पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है एवं इन पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जायेंगी। संबद्ध चिकित्सालयों (Hospitals) के भवनों की मरम्मत एवं उच्चीकरण के कार्यों हेतु आगामी वर्ष 37 करोड़ रुपये तथा इन चिकित्सालयों (Hospitals) में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु निर्माण कार्य एवं उपकरणों पर 13 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

71. वर्ष 2013-14 में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों (Medical colleges) में विभिन्न निर्माण कार्यों एवं उपकरणों की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार प्रावधान प्रस्तावित हैं:-

(श्री अशोक गहलोत)

1. लेबर रूम्स की मरम्मत एवं उच्चीकरण हेतु जयपुर एवं जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों को 5-5 करोड़ रुपये तथा उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं झालावाड़ के चिकित्सा महाविद्यालयों को 2-2 करोड़ रुपये।
2. चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा के नये चिकित्सालय परिसर में कैथ लैब हेतु 5 करोड़ रुपये, अस्पताल में निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ रुपये एवं उपकरणों की खरीद के लिए 2 करोड़ रुपये।
3. चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर एवं बीकानेर में ओ पी डी एवं इन्वेस्टीगेशन के लिए अलग से एकीकृत ब्लाक की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये।
4. पीबीएम अस्पताल, बीकानेर के भवनों की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये।
5. चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में :

   महात्मा गांधी चिकित्सालय में बर्न यूनिट के अपग्रेडेशन एवं उपकरणों, इत्यादि की व्यवस्था हेतु 3 करोड़ 25 लाख रुपये, न्यूरोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलाजी, नेफ्रोलाजी तथा हैमेटोलाजी सुपरस्पेशियलिटीज के पृथक वार्डों के निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपये।

6- सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में:-

   धन्वंतरि भवन में 3 अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण हेतु 16 करोड़ रुपये।

   आपातकालीन इकाई के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये।

72. आगामी वर्ष RSMML के सहयोग से प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में Diagnostic Wings के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इन Diagnostic Wings के निर्माण पर, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर तथा जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपये एवं चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा एवं झालावाड़ में 10-10 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

आयुर्वेद :

73. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ आमजन तक पहुंचाने हेतु राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित आयुर्वेद चिकित्सालयों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

74. आगामी वर्ष आयुर्वेद चिकित्सकों के 300 पद, होम्योपेथी चिकित्सकों के 75 पद एवं यूनानी चिकित्सकों के 125 पद सृजित किये जाने प्रस्तावित हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता :

75. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु प्रदेश में इनकी जनसंख्या के अनुपात में योजनागत व्यय सुनिश्चत करने की दृष्टि से बजट में अलग से मद खोलकर प्रावधान किये जा रहे हैं। इस व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप देने की दृष्टि से सदन में विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है।

76. गत वर्षों की बजट घोषणाओं के अन्तर्गत 20 जिलों में मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह प्रारम्भ किये गये हैं। शेष 13 जिलों, अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर, सिरोही, करौली, हनुमानगढ़ एवं प्रतापगढ़ में भी मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं।

77. आगामी वर्ष से 'मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना' लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे विशेष योग्यजनों को, जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक है, स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने के लिए 1 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी, जिसमें 50 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में एवं शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में होगी। ऋण राशि का भुगतान समय पर करने पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जायेगी। आगामी वर्ष 5 हजार विशेष योग्यजनों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

78. माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों द्वारा वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन योजना में संशोधन की समय-समय पर मांग की जाती रही है, ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अत: जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं राज्य की वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की पात्रता हेतु पेंशनर के परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सदस्य नहीं होने की शर्त को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। पेंशन के नये प्रकरणों में आय प्रमाण पत्र जारी करने तथा स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें जन-प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विशेष योग्यजन

(श्री अशोक गहलोत)

पेंशन योजना के सरलीकरण हेतु भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 1 हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा।

(12.00 बजे)

79. बी पी एल, स्टेट बी पी एल परिवारों एवं उनके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त कर रहे अन्य वर्गों के परिवारों की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ियां एवं पुरुषों को एक-एक कम्बल नि:शुल्क उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त, गत बजट में घोषित 'निराश्रित संबल योजना' के अन्तर्गत भी बेसहारा एवं जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां एवं पुरुषों को कम्बल नि:शुल्क वितरित किये जायेंगे। साडियों एवं कम्बलों की आपूर्ति खादी भंडारों, बुनकर संघ एवं हैंडलूम कारपोरेशन के माध्यम से करवायी जायेगी, जिससे इन संगठनों से जुडे हुए कतिनों एवं बुनकरों के रोजगार में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के लिये आगामी वर्ष 300 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

80. बी पी एल परिवारों को राज्य सरकार द्वारा देय सभी सुविधाएं प्रदेश के अन्त्योदय परिवारों को भी उपलब्ध करवाई जायेंगी।

81. पालनहार योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली मासिक सहायता राशि को 675 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 1 हजार रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी करने की मैं घोषणा करता हूं।

82. प्रदेश में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु 'राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू कल्याण बोर्ड' का गठन किया गया है। आगामी वर्ष इन जातियों को आवास, शिक्षा एवं स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिये विशेष योजना लागू की जायेगी, जिसके लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

83. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अंशदान के अतिरिक्त, राज्य योजना मद में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित वरीयतानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति देना प्रस्तावित है।

84. अस्पृश्यता उन्मूलन की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के युवक अथवा युवती को सामान्य जाति की युवती अथवा युवक से विवाह करने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मैं घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

85. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के कमजोर वर्गों हेतु छात्रावास, आवासीय विद्यालय, वृद्धाश्रम, विशेष योग्यजन विद्यालय, नारी निकेतन, बालगृह आदि संचालित किये जा रहे हैं। इन संस्थाओं के आवासियों की मैस भत्ते की राशि 1 हजार 250 रुपये से बढाकर 1 हजार 750 रुपये प्रति माह प्रति आवासी करने की मैं घोषणा करता हूं। इस बढ़ोत्तरी से 901 विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों और अन्य संस्थानों में रह रहे 41 हजार से अधिक आवासी लाभान्वित होंगे।

86. राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रावासों की छात्र क्षमता में आगामी वर्ष 2 हजार 500 की वृद्धि की जायेगी।

87. गत बजट में अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले 100 संबल गांवों के समग्र विकास के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आधारभूत संरचना के निर्माण के लिये 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2013-14 में एक हजार संबल गांवों के समग्र विकास हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है। इस राशि से ऐसे गांवों की अनुसूचित जाति की बस्तियों में आधारभूत संरचना के निर्माण के अतिरिक्त स्वास्थ्य, पेयजल एवं सेनिटेशन के कार्य करवाये जायेंगे।

88. वृद्धजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से निजी सहभागिता के आधार पर प्रदेश में वृद्धाश्रम स्थापित करने हेतु मैं 'राजस्थान वृद्धाश्रम योजना' लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों पर न्यूनतम एक करोड़ रुपये की लागत से एवं तहसील मुख्यालयों पर न्यूनतम 50 लाख रुपये की लागत से वृद्धाश्रम के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा लागत की 50 प्रतिशत राशि जिला मुख्यालयों हेतु अधिकतम 1 करोड़ रुपये एवं तहसील मुख्यालयों हेतु अधिकतम 50 लाख रुपये अंशदान के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त, वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु प्रति आवासी 2 हजार रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 100 आवासियों हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

89. देवनारायण योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिये 200 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये करने की मैं घोषणा करता हूं।

90. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा के लिये Scheduled Caste and Scheduled Tribe Land Tribunal का गठन किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

अल्पसंख्यक कल्याण :

91. केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं ढांचागत विकास हेतु MsDP (Multi sectoral Development Programme) संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति एवं कस्बों को इकाई नहीं मानकर सम्पूर्ण जिले को इकाई मानने के कारण प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के लाभ से वंचित थे। हमारे द्वारा योजना आयोग से चर्चा कर इस कार्यक्रम को अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों, पंचायत समितियों एवं गांवों में लागू करवाने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्राप्त कर ली गई है। इस सहमति के अनुरूप गंगापुर सिटी, मकराना एवं टोंक शहरों में तथा अलवर में लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़बास, तिजारा एवं रामगढ़, भरतपुर में कामां एवं नगर, जैसलमेर में सम, सांकड़ा, बाड़मेर में चौहटन तथा हनुमानगढ़ पंचायत समितियों में विकास कार्य करवाने हेतु लगभग 150 करोड़ रुपये के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

92. प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य 23 विकास खण्डों में अल्पसंख्यक समुदाय के बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक छात्रावास खोले जायेंगे जिस हेतु वर्ष 2013-14 में 56 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोलना भी प्रस्तावित हैं जिन पर लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

93. वर्ष 2013-14 में वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त, हज हाउस हेतु वर्ष 2013-14 के बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है। साथ ही 'मुख्य मंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के विस्तार हेतु वर्ष 2013-14 में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

94. आगामी वर्ष मदरसों हेतु 1 हजार 500 कम्प्यूटर पैराटीचर्स तथा 1 हजार 500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती की जायेगी। मदरसा पैराटीचर्स की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय में 1 जुलाई, 2013 से 600 से 800 रुपये प्रति माह की बढ़ोत्तरी की जायेगी।

95. प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं द्वारा बारहवीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने पर उन्हें 'स्कूटी' देने की मैं घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

96. हमने अल्पसंख्यक युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु 15 ITIs स्थापित किये हैं। आगामी वर्ष ऐसे ही 20 और ITIs की स्थापना की जायेगी।

97. अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को निवास एवं हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण एवं विपणन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जयपुर की तर्ज पर जोधपुर में भी आगामी वर्ष दस्तकार नगर स्थापित करना प्रस्तावित है।

98. अल्पसंख्यक वर्गों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2013-14 में 200 करोड़ रुपये के अंशदान से 'अल्पसंख्यक विकास कोष' के गठन की मैं घोषणा करता हूं।

जनजाति विकास :

99. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का अनुसूचित (TSP) क्षेत्र अभी भी अन्य सामान्य क्षेत्र की तुलना में विकसित नहीं है। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों के लिये एक ऐसा विशेष पैकेज लागू किया जाये जिससे न केवल अनुसूचित जनजातियों को लाभ मिले, वरन इस क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष वर्ग एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों का भी उत्थान हो सके तथा इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अतः अनुसूचित (TSP) क्षेत्र हेतु मैं 200 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज लागू करने की घोषणा करता हूं। इस पैकेज के अन्तर्गत ढांचागत विकास, महाविद्यालयों, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, आई टी आई, पोलीटेक्निक, इत्यादि की स्थापना के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग, स्कूटी वितरण, जीविकोपार्जन एवं गुरुकुल, इत्यादि योजनाओं का संचालन किया जायेगा जिससे सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल सकेगा।

100. प्रदेश के अनुसूचित (TSP) क्षेत्र में स्थित ऋषभदेव, मानगढ़ धाम एवं बेणेश्वर धाम आस्था के केन्द्र हैं। इन स्थलों की यात्रा करने वालों को मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराने एवं आधारभूत ढांचे के विकास हेतु 5-5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

101. अनुसूचित (TSP) क्षेत्र के जिन गांवों में वर्तमान में स्वास्थ्य सहयोगिनियां कार्यरत नहीं हैं, वहां लगभग 3 हजार 500 नई स्वास्थ्य सहयोगिनियों का चयन कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी।

102. अनुसूचित जनजाति छात्रावासों, आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय

(श्री अशोक गहलोत)

विद्यालयों में रह रहे छात्रों का मैस भत्ता 1 हजार 250 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 750 रुपये प्रति माह करना प्रस्तावित है। इस बढ़ोत्तरी से 275 विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के 21 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। जनजाति विभाग द्वारा संचालित 100 से अधिक क्षमता वाले छात्रावासों में रसोइये का एक अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य के अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की छात्र क्षमता में आगामी वर्ष 1 हजार 500 की वृद्धि की जायेगी।

103. जनजाति क्षेत्र में जनजातियों के आर्थिक कल्याण एवं उन्नयन हेतु 'राजससंघ' (राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ), उदयपुर को वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस निगम की अधिकृत अंशपूंजी को 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये करते हेतु राज्य सरकार द्वारा 4 करोड़ 17 लाख रुपये की अंशपूंजी उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त, राजससंघ को 1 करोड़ 84 लाख रुपये का अनुदान भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

104. अनुसूचित (TSP) क्षेत्रों की 37 मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों के लगभग 3 हजार 500 मछुआरा सदस्यों को राजससंघ द्वारा नाव-जाल हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये ऋणों एवं ब्याज की लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपये की बकाया राशि माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष 5 हजार मछुआरों को नावें, जाल, साइकिलें एवं मछलियों के परिवहन के लिये बाक्सेज नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे ताकि जीविकोपार्जन हेतु उन्हें साधन उपलब्ध हो सकें।

105. राजससंघ द्वारा तेंदूपत्ता सहकारी समितियों को पूर्व में दिये गये बकाया ऋण एवं ब्याज के पेटे 5 करोड़ 16 लाख रुपये की वसूली माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इस हेतु आवश्यक धनराशि राजससंघ को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

106. जनजाति विभाग के अधीन समस्त आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में 13 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। आश्रम छात्रावासों एवं स्कूलों में पेयजल, शौचालय, अधीक्षक आवास, चौकीदार आवास तथा कन्या छात्रावासों की चारदीवारी से सम्बन्धित निर्माण कार्य करवाये जायेंगे जिसकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये है।

(श्री अशोक गहलोत)

107. अनुसूचित (TSP) क्षेत्र के कृषकों को खरीफ की तरह ही रबी में भी उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण हेतु दवाइयां, आदि उपलब्ध करवाई जायेंगी जिससे कपास, मूंग, तिल, चना, इत्यादि फसलों के औसत उत्पादन में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम पर लगभग 27 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

108. गत बजट में मैंने उदयपुर में Rajiv Gandhi Tribal University की स्थापना करने की घोषणा की थी। इस विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य विषयों में अध्यापन एवं शोध के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के संबंध में Anthropological शोध भी किया जायेगा। इस निर्माणाधीन विश्वविद्यालय में RSMML के सहयोग से 50 करोड़ रुपये की लागत के ढांचागत विकास के कार्य करवाये जायेंगे।

महिला एवं बाल विकास :

109. माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मैं प्रदेश के राजकीय उपक्रमों के निदेशक मंडल में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को नामित करना प्रस्तावित करता हूं।

110. सामूहिक विवाहों के आयोजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं यह घोषणा करता हूं कि प्रत्येक वधु को वर्तमान में देय 4 हजार 500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये एवं आयोजकों को देय 1 हजार 500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रति जोड़ा निर्धारित किया जायेगा। सामूहिक विवाहों के आयोजन हेतु 500 जोड़ों की अधिकतम सीमा होगी।

111. प्रदेश में बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से पृथक से एक बाल निदेशालय स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूं।

112. समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे शाला-पूर्व शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आते हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले प्रत्येक बच्चे को 2 यूनिफार्म उपलब्ध कराई जायेंगी जिस पर 50 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्चा होगा एवं इससे लगभग 12 लाख 23 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे।

113. स्वरोजगार हेतु ऋण लेने वाले स्वयं सहायता समूहों को वर्तमान

(श्री अशोक गहलोत)

में संचालित योजना के अनुसार ब्याज भुगतान की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम 50 हजार रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना को स्वयं सहायता समूहों हेतु और प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा पात्र समूहों को ऋण के साथ 10 हजार रुपये का एकमुश्त अनुदान देने की मैं घोषणा करता हूं। आगामी वर्ष इस हेतु एक लाख स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित करने हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

114. राज्य में लिंगानुपात एक चिंता का विषय है। इस समस्या से निपटने हेतु 'शुभ लक्ष्मी' योजना लागू की जायेगी जिसके अन्तर्गत 2 लाख रुपये वार्षिक आय तक के परिवारों की 1 अप्रैल, 2013 व उसके पश्चात् यदि गर्भवती महिला तीन ए एन सी (Antenatal Care) विजिट कर संस्थागत प्रसव से बालिका को जन्म देती है तो उस महिला को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुमत राशि के अतिरिक्त एक हजार रुपये की राशि दी जायेगी; बालिका की आयु 1 वर्ष होने तथा टीकाकरण संबंधी नोर्म्स पूरे होने पर 1 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी; बालिका की आयु 5 वर्ष होने एवं स्कूल में प्रवेश लेने पर 2 हजार रुपये की राशि और देय होगी। यह राशि उन्हीं परिवारों को देय होगी जिनमें जन्म लेने वाली बालिका को मिलाकर 2 से अधिक संतान नहीं हो। लाभान्वित परिवारों में तीसरी संतान होने की स्थिति में उन परिवारों को आगे की राशि देय नहीं होगी।

115. महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत नियोजित कार्मिकों के मानदेय में निम्नानुसार बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा:-

पद नाम	मानदेय की वर्तमान दर	प्रस्तावित दर	वृद्धि (प्रति माह)
1	2	3	4
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	3 हजार 630 रुपये	4 हजार 330 रुपये	700 रुपये
मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	1 हजार 815 रुपये	2 हजार 315 रुपये	500 रुपये

(श्री अशोक गहलोत)

1	2	3	4
आंगनबाड़ी सहायिका	1 हजार 815 रुपये	2 हजार 315 रुपये	500 रुपये
साथिन	1 हजार 500 रुपये	2 हजार रुपये	500 रुपये
आशा सहयोगिनी	1 हजार 100 रुपये	1 हजार 600 रुपये	500 रुपये

116. महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत मानदेय पर नियोजित कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा हेतु आंगनबाड़ी कल्याण कोष में 100 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करता हूं। इस कोष के माध्यम से इन महिला कार्मिकों को निम्नानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी :-

- ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर,
- मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपये,
- गम्भीर रूप से चोटग्रस्त होने पर 50 हजार रुपये, तथा
- साधारण रूप से चोटग्रस्त होने पर इंडोर उपचार हेतु 5 हजार रुपये।
- हृदय, कैंसर अथवा किडनी के रोग से ग्रस्त होने पर इलाज हेतु 1 लाख रुपये तक की सहायता,
- पुत्र-पुत्रियों हेतु प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप।

वन एवं पर्यावरण :

117. राज्य की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वृक्षारोपण करवाया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ-साथ राज्य के हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी।

118. जोधपुर शहर में कायलाना झील के पास स्थित वन खंड, बड़ा भाकर क्षेत्र को औषधीय पौधों के संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से कायलाना बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।

119. टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थानीय लोगों के ईंधन संबंधी दबाव को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 के दौरान सरिस्का एवं रणथम्भौर बाघ परियोजना के समीपस्थ क्षेत्रों में 20 हजार गैस कनेक्शन रियायती दरों पर दिये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

120. राज्य में विभिन्न स्थलों पर स्थानीय एवं माइग्रेटरी पक्षी बहुतायत में पाये जाते हैं। इन पक्षियों के चोटग्रस्त होने पर उपचार हेतु भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क, जोधपुर के खींचन, चूरू के तालछापर तथा पाली एवं जयपुर में बर्ड रेस्क्यू सेंटर स्थापित किये जायेंगे।

121. पाली जिले के जवाई बांध के आसपास के क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सीकर जिले में जीणमाता के आसपास के वन क्षेत्र को जीणमाता कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र एवं श्रीगंगानगर जिले में घग्घर के आसपास के क्षेत्र को बड़ोपल पक्षी अभयारण्य घोषित किया जाएगा।

122. सड़क निर्माण में अन्य सामग्रियों के साथ-साथ प्लास्टिक के कचरे का भी उपयोग किया जा सकता है। अत: पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करते हुए प्रदेश में प्लास्टिक मिश्रित डामर रोड का प्रायोगिक तौर पर निर्माण करवाया जाएगा, जिस हेतु आगामी वर्ष में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज :

123. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है प्रशासन गांवों के संग अभियान का प्रथम चरण 10 जनवरी से 20 फरवरी, 2013 की अवधि में संचालित किया गया। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ 3 लाख 4 हजार 214 प्रकरणों में आबादी के पट्टे जारी किये गये एवं 54 हजार 246 प्रकरणों में आवासीय भूखंडों का नि:शुल्क आवंटन किया गया।

124. महात्मा गांधी नरेगा की केन्द्रीय योजना में 100 दिन के रोजगार का ही प्रावधान है। अब मैं प्रदेश में 150* दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। योजना में 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, ऐसे परिवार जो इसी वित्तीय वर्ष 2012-13 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूरा करेंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में 2 हजार एक सौ रुपये की नकद सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

125. महात्मा गांधी नरेगा योजना की गाइडलाइंस में किये गये

---

* संशोधन, लिखित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 के अनुसार माननीय अध्यक्ष की अनुमति से किया गया।

(श्री अशोक गहलोत)

संशोधन के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत सामग्री मद की गणना अब ग्राम पंचायतवार ही की जा सकेगी। अत: इस योजना के तहत परिसम्पत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सामुदायिक कार्यों के सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक राशि को राज्य मद से उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अंशदान से परिसम्पत्ति निर्माण निधि की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं। इस निधि के अन्तर्गत पारम्परिक जलस्रोतों के पुनरुद्वार एवं सुधार की दृष्टि से आगामी वर्ष लगभग 4 हजार कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

126. इंदिरा आवास योजना में अनुदान सहायता राशि की दर में की गई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष तृतीय चरण में लक्षित 2 लाख आवासों के निर्माण हेतु अनुदान सहायता की दर को बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति इकाई निर्धारित करने की मैं घोषणा करता हूं।

127. डांग एवं मगरा योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में चालू वर्ष के 20-20 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 50-50 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित है। साथ ही मेवात विकास योजना के चालू वर्ष के 25 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित है।

128. ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए इसके प्रावधान को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया जाएगा। इस प्रावधान में से अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विकास कार्यों हेतु 30 प्रतिशत राशि व्यय की जायेगी।

129. गांवों का विकास सुनियोजित तरीके से हो सके, इस दृष्टि से प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 81 गांवों के विलेज मास्टर प्लान तैयार किये गये हैं। इन गांवों में मास्टर प्लान के अनुरूप एक-एक करोड़ रुपये की लागत के कार्य करवाना प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त, विक्रेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के मास्टर प्लान तैयार करवाये जायेंगे जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

130. बायोगैस के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु बायोगैस प्लांट की स्थापना पर 20 हजार रुपये प्रति इकाई की दर से आगामी वर्ष 25*** हजार प्लांटस हेतु अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

*** संशोधन लिखित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 के अनुसार माननीय अध्यक्ष की अनुमति से किया गया।

(श्री अशोक गहलोत)

कृषि :

131. फसलों की सिंचाई हेतु वर्षा जल संग्रहण एवं जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 हजार डिग्गियों तथा 10 हजार फार्म पोण्डस के निर्माण हेतु अनुदान के पेटे आगामी वर्ष 225 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

132. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए यह आवश्यक है कि फसलों की नई एवं उन्नत किस्मों का लगातार उत्पादन कर किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाये जायें। राष्ट्रीय खाद्य मिशन अन्तर्गत चयनित जिलों में किसानों को यह सुविधा उपलब्ध है। अत: ऐसे जिले जो मिशन के अन्तर्गत चयनित नहीं हैं, उनके लिए किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2013-14 में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

133. रबी एवं खरीफ फसलों हेतु उर्वरकों की पर्याप्त एवं समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2013-14 में 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन डीएपी, 50 हजार मीट्रिक टन मिश्रित उर्वरक एवं 50 हजार मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट का अग्रिम भंडारण किया जाना प्रस्तावित है।

134. कृषि सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से विगत दो वर्षों में 897 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई है तथा 702 कृषि पर्यवेक्षकों एवं 366 सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2013-14 में 1 हजार 500 कृषि पर्यवेक्षकों तथा 300 सहायक कृषि अधिकारियों के पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में उद्यानिकी से सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से आगामी वर्ष बूंदी, झुंझुनूं, करौली एवं डूंगरपुर में सहायक निदेशक कार्यालय स्थापित किये जायेंगे।

135. कोटा, जोबनेर, जयपुर एवं जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय तथा भीलवाड़ा एवं भरतपुर में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): साथ ही नागौर जिले के लाडनूं में कृषि विषय में डिप्लोमा कोर्स संचालित करने हेतु शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

136. आगामी वर्ष राजस्थान आर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड की स्थापना करना प्रस्तावित है। यह बोर्ड जैविक खेती के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रशिक्षण और विपणन का कार्य भी करेगा। इस बोर्ड की स्थापना हेतु वर्ष 2013-14 में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, जैविक उत्पादों को मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य में स्थित परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण पर 3 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

137. पूर्व में घोषित राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य में 10 जिलों के 20 क्लस्टर्स में 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 1 लाख 55 हजार कृषकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत 10 हजार कृषक समूहों का गठन किया जायेगा, ताकि कृषकों को उनके उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिल सके। इस परियोजना की कुल लागत 832 करोड़ रुपये है।

138. सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकों के माध्यम से किसानों को बाजार भावों की जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जयपुर एग्री मार्केट इन्टेलिजेंस एंड बिजनेस प्रमोशन सेंटर की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं। इस केन्द्र की स्थापना से किसान बाजार की स्थिति देखकर फसल बेचने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेंगे। साथ ही, यह केन्द्र उपजों एवं बाजार के संबंध में भी आवश्यक सलाहकार सेवायें उपलब्ध करवायेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में 2 मेगा फूडपार्क बीकानेर एवं जोधपुर में स्थापित किये जायेंगे।

139. फल-सब्जियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन हाउस, पॉली हाउस एवं नेट हाउस के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

140. कृषकों एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में फल एवं सब्जियों का विक्रय मंडी में करने की बाध्यता को समाप्त करने की मैं घोषणा करता हूं।

141. वर्ष 2013-14 में बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्रों की स्थापना पर 90 प्रतिशत की दर से अनुदान देने हेतु 200 करोड़ रुपये तथा फर्टीगेशन आधारित ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित करने हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई संयंत्रों में आटोमेशन तकनीक के प्रयोग हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

142. कृषि क्षेत्र में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2013-14 में राज्य में 10 हजार सौर ऊर्जा आधारित पम्प सेट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पम्प सेट स्थापित करने के लिए किसानों को अनुदान देने हेतु 280 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

143. चम्बल की बीहड भूमियों को समतल कर भूमिहीन किसानों को आबंटित करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। इससे डांग क्षेत्र के विकास के साथ-साथ डकैती जैसे अपराधों पर अंकुश लगेगा। आगामी वर्ष इस योजना हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

सहकारिता :

144. माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित फसली ऋणों की राशि में गत चार वर्षों में चार गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 में जहां 2 हजार 500 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये वहीं वर्ष 2012-13 में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिये गये, वर्ष 2013-14 में 15 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को 150 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा ताकि वे लक्ष्य के अनुसार संसाधनों की व्यवस्था कर सकें।

145. गत वर्ष हमने एक लाख रुपये तक के फसली ऋणों का चुकारा समय पर करने पर सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ करने की योजना लागू की थी। वर्ष 2013-14 में ब्याजमुक्त ऋण की राशि को बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये करने की मैं घोषणा करता हूं। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को 500 करोड़ रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

146. ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाने एवं एसएचजी-बैंक लिंकेज को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये के अंशदान से राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना किये जाने की मैं घोषणा करता हूं। निगम का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा। आगामी वर्ष निगम के माध्यम से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की लगभग 1 हजार करोड़ रुपये की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी।

147. राज्य के भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक किसानों को

(श्री अशोक गहलोत)

दीर्घकालीन ऋण वितरित कर कृषि के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के निर्माण और विकास में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। दीर्घकालीन ऋण चुकाने में प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से चूक करने वाले किसान डिफाल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। इन किसानों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से जो किसान 31 दिसंबर, 2013 तक समस्त ऋण चुका देंगे, उनको ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की रियायत देने की मैं घोषणा करता हूं।

148. स्पिनफेड के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु 2012-13 में 2 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई थी। वर्ष 2013-14 में स्पिनफेड को 5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त स्पिनफेड को 10 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त ऋण राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

पशुपालन :

149. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का विशेष महत्व है। हमारी सरकार द्वारा पशुपालन की गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता देते हुए नई विभागीय संस्थाओं का विस्तार करने के साथ-साथ पशुधन नि:शुल्क दवा योजना लागू करते हुए प्रत्येक तहसील में एक मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के संचालन की स्वीकृति दी गई है।

150. मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना की सफलता को देखते हुए वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही औषधियों की संख्या को 87 से बढ़ाकर 110 किया जायेगा। इस योजना के बेहतर संचालन हेतु पृथक से राजस्थान वेटरनरी सर्विस कारपोरेशन स्थापित किया जायेगा।

151. वर्ष 2013-14 में 400 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने तथा 200 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में एवं 500 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की मैं घोषणा करता हूं। वर्तमान में प्रदेश के 15 जिलों में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय स्थापित हैं। आगामी वर्ष शेष रहे 18 जिलों में जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

दौसा, झुंझुनूं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, चूरू, हनुमानगढ़, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़।

(श्री अशोक गहलोत)

152. ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए भरतपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, करौली, धौलपुर एवं डूंगरपुर में चल पशु शल्य चिकित्सा इकाइयों का गठन किया जायेगा।

153. गौवंश की देशी नस्लों के संरक्षण, संवर्धन तथा गाय एवं भैंस वंश में नस्ल सुधार हेतु 1 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में वृद्धि की जायेगी। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जायेगा। यह सुविधा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जायेगी जिस पर वर्ष 2013-14 में 50 करोड़ रुपये का व्यय होना संभावित है।

154. उच्च कोटि की गौवंश की देशी नस्लों, राठी, थारपारकर, कांकरेज एवं गीर के संरक्षण एवं विकास के लिए वेटरनरी विश्वविद्यालय, बीकानेर में फार्म स्थापित किये जा चुके हैं। प्रसिद्ध देशी साहिवाल नस्ल के संरक्षण एवं उन्नयन हेतु एक और फार्म विश्वविद्यालय के अधीन स्थापित किया जायेगा, जिसकी कुल लागत 15 करोड़ रुपये होगी। इसके अतिरिक्त, गौवंश के संवर्धन हेतु राजस्थान गौसेवा आयोग को 1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

155. सहकारी क्षेत्र से जुड़े पशुपालकों के कल्याणार्थ एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी वर्ष:-

विभिन्न जिला दुग्ध संघों में 500 बल्क मिल्क कूलरों की व्यवस्था की जायेगी, जिन पर लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

घड़साना में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से चिलिंग प्लांट की स्थापना की जायेगी।

बाड़मेर जिले में 4 करोड़ रुपये की लागत से 25 हजार किलोग्राम प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध संयंत्र की स्थापना की जायेगी।

156. पशुपालकों के कल्याण हेतु राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा दो रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान देने की 'मुख्य मंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना' लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। आगामी वर्ष इस योजना पर

(श्री अशोक गहलोत)

लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त, डेयरी उत्पादों के वितरण को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से आगामी वर्ष प्रदेश में 10 हजार डेयरी बूथों की स्थापना करना प्रस्तावित है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

157. गत वर्ष मैंने गेहूं की खरीद पर समर्थन मूल्य के अलावा किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान करने की घोषणा की थी, जिस क्रम में लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि का बोनस का भुगतान किया गया तथा लगभग 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ। आगामी वर्ष गेहूं की खरीद पर राज्य द्वारा समर्थन मूल्य पर 100 रुपये के स्थान पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि के भुगतान की मैं घोषणा करता हूं। राज्य सरकार पर बोनस भुगतान के पेटे लगभग 450 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा।

158. वर्तमान में बी पी एल, स्टेट बी पी एल एवं अन्त्योदय परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन परिवारों को आगामी वर्ष से 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करता हूं। इस योजना के संचालन पर आगामी वर्ष 500 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा।

159. प्रदेश के नागरिकों को महंगाई से राहत दिलाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा गेहूं, चावल, दाल, धान, गेहूं का आटा, मैदा, सूजी एवं सभी प्रकार के केरोसीन को वैट से मुक्त किया गया था। इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बी पी एल परिवारों को वर्तमान में 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाई जा रही चीनी की दर को भी घटाकर 10 रुपये प्रति किलो करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ए पी एल परिवारों को वर्तमान में 8 रुपये 60 पैसे एवं 8 रुपये 10 पैसे प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाये जा रहे राज ब्रांड आटे की दर को घटाकर 5 रुपये प्रति किलो करने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही, राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम के माध्यम से दाल, खाद्य, तेल, चाय, बिस्किट तथा साबुन, इत्यादि रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। राज्य की जनता को महंगाई से राहत दिलाने हेतु इन उपायों पर लगभग 350 करोड़ रुपये का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

श्रम एवं रोजगार :

160. हमारी सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को आजीविका अर्जन हेतु सक्षम बनाने की दृष्टि से 'मुख्य मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना' एवं 'मुख्य मंत्री शहरी बीपीएल रोजगार योजना' प्रारम्भ की गई। शहरी क्षेत्रों में लागू रोजगार योजना के अन्तर्गत 2 लाख 50 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं को भी प्रशिक्षण तथा रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र माना जायेगा तथा योजना का नाम परिवर्तित कर 'मुख्य मंत्री शहरी रोजगार योजना' किया जायेगा। इन ग्रामीण एवं शहरी रोजगार योजनाओं के माध्यम से आगामी वर्ष लगभग 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन योजनाओं में प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अब तक 37 एजेंसियों से अनुबंध किया गया है। ये कम्पनियां प्रशिक्षण देने के साथ-साथ 8 माह का रोजगार भी सुलभ करवायेंगी। इन योजनाओं का और विस्तार करते हुए प्रदेश में स्थापित उद्योगों के साथ युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु अनुबंध किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विदेशों में रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से प्रदेश के युवाओं हेतु special skill development courses भी आयोजित किये जायेंगे। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आगामी वर्ष 350 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

161. प्रदेश के अनेक युवक-युवतियां जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न पारम्परिक एवं अन्य कार्यों में नियोजित हैं, जिनमें फर्नीचर निर्माण, कपड़ा बुनना, पेंट करना, मूर्तियों की घड़ाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े सिलना, आभूषणों का निर्माण करना, लोहे का सामान बनाना एवं बिजली तथा नल फिटिंग, इत्यादि के कार्य शामिल हैं। इन लोगों को यदि उचित प्रशिक्षण दिया जाये तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाये जायें तो उनकी आय में वृद्धि सम्भव है। अत: इस प्रकार के व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से on the job training तथा आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी। इस हेतु आगामी वर्ष 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

162. आगामी वर्ष रोजगार किट उपलब्ध करवाने का भी एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा, ताकि चयनित युवक-युवतियां स्वयं का रोजगार प्रारम्भ कर सकें। विभिन्न प्रकार के रोजगार किटों में से युवक-युवतियों को अपनी आवश्यकतानुसार किट का चयन करने का विकल्प होगा।

(श्री अशोक गहलोत)

अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु जिस प्रकार के उपकरणों एवं औजारों की आवश्यकता होगी, वे किट में उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके अन्तर्गत बिजली फिटिंग एवं रिपेयर के कार्य, नल ठीक करने के कार्य, आटो रिपेयर, हेयर कटिंग, ब्यूटी पार्लर, सिलाई मशीन, टी-स्टाल सामान, मनिहारी दुकान का सामान, प्रेस मय टेबल, दोने-पत्तल बनाने, चश्में बनाने, इत्यादि कार्यों हेतु आवश्यक उपकरणों एवं औजारों के किट उपलब्ध करवाये जायेंगे। आगामी वर्ष लगभग 2 लाख युवक-युवतियों को ऐसे रोजगार किट उपलब्ध करवाने हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

163. प्रदेश में हल्के एवं भारी वाहनों की संख्या में प्रति वर्ष हो रही बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए वाहनों के रख-रखाव के लिए प्रशिक्षित मेकेनिकों एवं ड्राइवरों की व्यापक आवश्यकता है। अत: आटोमोबाइल क्षेत्र में वर्ष 2013-14 के दौरान 10 हजार युवाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से ड्राइविंग एवं मोटर मेकेनिक का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

164. राज्य के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु प्रत्येक जिले में एक-एक करोड़ रुपये की लागत से छात्रावासों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर वर्तमान में दी जा रही 75 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जायेगा। साथ ही, चिकित्सा अनुदान की राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

165. निर्माण श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को वर्तमान में दी जा रही वार्षिक छात्रवृत्ति की दर को बढ़ाकर दुगना करना प्रस्तावित है। बढ़ी हुई दरों के अनुसार कक्षा 6 से 8 में छात्रों को 1 हजार रुपये, छात्राओं को 1 हजार 500 रुपये, कक्षा 9 से 12 में छात्रों को 2 हजार रुपये, छात्राओं को 2 हजार 400 रुपये, स्नातक स्तर पर छात्रों को 3 हजार रुपये, छात्राओं को 4 हजार रुपये, डिप्लोमा स्तर पर छात्रों को 4 हजार रुपये, छात्राओं को 5 हजार रुपये एवं स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों को 6 हजार रुपये, छात्राओं को 8 हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर देय होगी; श्रमिकों के परिवार वालों को।

166. प्रदेश के युवाओं में तकनीकी दक्षता विकसित करने की दृष्टि से

(श्री अशोक गहलोत)

आगामी वर्ष 25 नये ITI स्थापित किये जायेंगे, जिनमें से 10 महिला ITI होंगी। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर लैब्स स्थापित करने हेतु भी 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, नये ITI की स्थापना करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 25 लाख रुपये प्रति ITI की दर से राज्य सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।

शिक्षा :

167. माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष एक हजार नये प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 1 हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में माध्यमिक विद्यालय संचालित हो। इस हेतु आवश्यकतानुसार और विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे।

168. सभी तहसील स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य, तीनों संकायों में अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नये संकाय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय खोले जाएंगे।

169. नये खुलने वाले विद्यालयों एवं छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार की दृष्टि से वर्तमान में 20 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 20 हजार पद, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 10 हजार पद एवं शारीरिक शिक्षकों के 5 हजार पद सृजित करने की मैं घोषणा करता हूं। शारीरिक शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में योग का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इस हेतु शारीरिक शिक्षकों के सेवा नियमों में स्थायीकरण से पहले योग का प्रशिक्षण देने की योग्यता अर्जित करना अनिवार्य किया जायेगा। विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा एवं गांधी अध्ययन भी जोड़ा जायेगा।

170. सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की उपलब्धता सुनिश्चत करने की दृष्टि से अंग्रेजी विषय के 1 हजार 200 व्याख्याताओं एवं हिन्दी विषय के 1 हजार 500 व्याख्याताओं के

(श्री अशोक गहलोत)

एवं अन्य विषयों के 2 हजार व्याख्याताओं के पद सृजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, उर्दू विषय में व्याख्याताओं के 1 हजार पद तथा द्वितीय श्रेणी उर्दू अध्यापकों के 1 हजार नवीन पद सृजित किये जाएंगे तथा चयनित विद्यालयों में तृतीय भाषा के रूप में उर्दू के अध्ययन का विकल्प उपलब्ध करवाया जायेगा।

171. वर्ष 2013-14 में 6 हजार से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक पद कनिष्ठ लिपिक का एवं 1 हजार से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक पद वरिष्ठ लिपिक का सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों हेतु 150 कनिष्ठ लिपिक, 351 वरिष्ठ लिपिक एवं 437 एस डी आई के पदों का सृजन कर आगामी वर्ष में इनको भरने की कार्रवाई की जायेगी।

172. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने पूर्व में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् राजकीय विद्यालय की नवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रदेश की प्रत्येक बालिका को साइकिल उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अन्तर्गत 5 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस की दर को बढ़ाकर 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस अथवा विद्यालय आने-जाने का वास्तविक किराया, जो भी कम हो, की सुविधा छात्राओं को देय होगी।

173. राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 10-10 हजार, आठवीं कक्षा की परीक्षा में विद्यालय में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को लैपटाप वितरित करने की योजना आगामी वर्ष भी जारी रखी जायेगी। आगामी वर्ष इस योजना का और विस्तार करते हुए कक्षा आठवीं में विद्यालय में दूसरे से ग्यारहवां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लगभाग 6 हजार रुपये मूल्य के 'टेबलेट-पीसी' उपलब्ध करवाये जायेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, माफ करना, एक सैकण्ड मेरी बात ...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसके फलस्वरूप आगामी वर्ष में प्रदेश के लगभग 55 हजार बालक-बालिकाओं को 'लैपटाप' एवं लगभग 3 लाख 50 हजार बालक-बालिकाओं को 'टेबलेट-पीसी' उपलब्ध हो सकेंगे...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नेता महोदय, मेरी बात, एक सैकण्ड, यह जो आप आठवीं की घोषणा कर रहे हो, आठवीं में अब परीक्षा का ही प्रोविजन खत्म कर दिया, ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया। आप इसको कैसे देंगे? परीक्षा का प्रावधान ही नहीं है, आठवीं में।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप बाद में बात कर लेना मेरे से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको बता रहा हूं, यह गलत सूचना दे रहा है डिपार्टमेंट आपको। अब ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम में कोई हो नहीं सकता। (व्यवधान) पता नहीं, कमाल कर रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ...जिससे उनको कम्प्यूटर व इंटरनेट के उपयोग हेतु प्रेरित किया जा सकेगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

174. राज्य के समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2013-14 में 10 हजार राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भी पुस्तकालयों की स्थापना की जायेगी।

175. वर्तमान में 116 पंचायत समिति मुख्यालयों पर सार्वजनिक पुस्तकालय भवनों का निर्माण हो चुका है। शेष पंचायत समिति मुख्यालयों पर आगामी दो वर्षों में पुस्तकालय भवनों का निर्माण कर इन्हें कार्यशील बनाने की योजना है। आगामी वर्ष 70 पुस्तकालय भवनों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, भरतपुर के हिन्दी साहित्य समिति पुस्तकालय को आगामी वर्ष 50 लाख रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

176. प्रदेश के सतत् शिक्षा केन्द्रों पर महात्मा गांधी वाचनालयों में पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की जायेगी। इसके अतिरिक्त, सतत् शिक्षा के प्रेरकों को इन वाचनालयों की व्यवस्था सम्भालने हेतु 500 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा।

177. गत बजट में मैंने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को देय पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें बढ़ाने की घोषणा की थी। वर्ष 2013-14 से पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें और बढ़ाते हुए, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 50 रुपये के स्थान पर 75 रुपये प्रति माह एवं छात्राओं को 100 रुपये के स्थान पर 125 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। साथ ही, कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दर 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति माह एवं छात्राओं के लिए 120 रुपये से बढ़ाकर 140

(श्री अशोक गहलोत)

रुपये प्रति माह की जायेगी। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 9 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे एवं 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

178. जगदगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में 1 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से स्पोर्टस काम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, इस विश्वविद्यालय में योग साधना केन्द्र एवं शैक्षणिक मीटिंग हाल का भी निर्माण करवाया जायेगा।

179. भरतपुर सम्भागीय मुख्यालय पर स्थापित राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय को आचार्य स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा। सीकर के एक राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय को महिला शास्त्री महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, श्रीगंगानगर एवं प्रतापगढ़ में एक-एक विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जोधपुर का 5 करोड़ रुपये की लागत से नवीन भवन निर्मित किया जायेगा। आगामी वर्ष 2 हजार से अधिक संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

180. शैक्षिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत 'शैक्षिक सहायकों' के एक नये संवर्ग के सृजन की मैं घोषणा करता हूं। शैक्षिक सहायकों द्वारा मुख्यत: स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का सर्वे कर, उन्हें स्कूल में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित करने, ड्रापआउट्स की ट्रैकिंग करने एवं मिड-डे मील व्यवस्था सम्भालने के साथ-साथ अनुशासन, स्वच्छता एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के संचालन, इत्यादि का कार्य किया जायेगा। आगामी वर्ष 40 हजार शैक्षिक सहायकों के पद सृजित कर नियमित नियुक्तियां की जायेंगी। इसके अतिरिक्त, 10 हजार प्रबोधकों के भी पद सृजित कर नियमित नियुक्तियां की जायेंगी। साथ ही, दूरदराज की एक हजार आंगनबाड़ियों में प्री-स्कूल शिक्षकों के पद सृजित किये जायेंगे, जिन पर एन टी टी योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

181. राज्य में कार्यरत शिक्षाकर्मी, विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर्स एवं लोक जुंबिश के अधीन आने वाले शिक्षकों तथा विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के मानदेय में दिनांक 1 जुलाई, 2012 से वृद्धि की गई थी। अब मैं घोषणा करता हूं कि लोक जुंबिश के अधीन आने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मानेदय में 1 जुलाई, 2013 से 10 प्रतिशत की वृद्धि तथा अन्य वर्गों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मानेदय में 1 जुलाई, 2013 से निम्नानुसार वृद्धि की जायेगी:-

(श्री अशोक गहलोत)

पद नाम	**मानेदय की वर्तमान दर**	**प्रस्तावित दर**	**वृद्धि (प्रति माह)**
वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी	11 हजार 501 रुपये	12 हजार 401 रुपये	900 रुपये
वरिष्ठ शिक्षाकर्मी	10 हजार 252 रुपये	11 हजार 152 रुपये	900 रुपये
सामान्य शिक्षाकर्मी	7 हजार रुपये	7 हजार 700 रुपये	700 रुपये
विद्यार्थी मित्र ग्रेड-III	4 हजार 200 रुपये	4 हजार 800 रुपये	600 रुपये
विद्यार्थी मित्र ग्रेड-II	4 हजार 600 रुपये	5 हजार 300 रुपये	700 रुपये
विद्यार्थी मित्र व्याख्याता	6 हजार रुपये	6 हजार 900 रुपये	900 रुपये
पैराटीचर्स	5 हजार 700 रुपये	6 हजार 500 रुपये	800 रुपये

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

तकनीकी शिक्षा :

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 182. विगत चार वर्षों में देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं, IIT, IIM, AIIMS एवं NIFT की राज्य में स्थापना की गई है। इसी क्रम में कोटा में IIIT की स्थापना हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा शीघ्र ही निजी निवेशकों के साथ सहमति-पत्र हस्ताक्षरित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। (व्यवधान) इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष बीकानेर में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

उच्च शिक्षा :

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 183. चालू वर्ष में प्रदेश में 7 नये राज्यपोषित विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं। आगामी वर्ष इन विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।

184. गत बजट में महाविद्यालयविहीन तहसील मुख्यालयों पर निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोलने की योजना का विस्तार करते हुए आवश्यकता के अनुसार अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोलने के लिए हम प्रयासरत हैं। इसके साथ-साथ, विद्यार्थियों की संख्या तथा छात्राओं के अनुपात को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष 15 राजकीय महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित है। नये महाविद्यालय खोलते समय कन्या महाविद्यालयों को प्राथमिकता दी जायेगी।

185. आगामी वर्ष स्ववित्तपोषित आधार पर रावतभाटा एवं छीपाबड़ौद में संचालित महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों का दर्जा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, 10 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, 10 स्नातक महाविद्यालयों एवं 5 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में नये विषय प्रारम्भ किये जायेंगे।

186. वर्ष 2012-13 से उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति वर्ष किया गया है। योजना को वर्ष 2013-14 में भी जारी रखते हुए आगामी वर्ष एक लाख तक नये छात्रों का चयन किया जायेगा। इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए मैं यह घोषणा करता हूं कि ऐसे छात्र यदि उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण लेकर उसका समय पर भुगतान करते हैं तो उन्हें 5 प्रतिशत राशि का ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत एक हजार प्रतिभावान विद्यार्थियों को आगामी वर्ष लैपटाप वितरित किये जायेंगे।

युवा मामले एवं खेल :

187. जयपुर, जोधपुर तथा अलवर में केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण के ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किये जायेंगे, जिन पर लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसके अतिरिक्त, सवाई मानसिंह

(श्री अशोक गहलोत)

स्टेडियम परिसर, जयपुर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

188. राज्य क्रीड़ा परिषद के माध्यम से, राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु वर्ष 2013-14 में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में राजस्थान युवा बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में एक राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। साथ ही, आगामी वर्ष राज्य क्रीड़ा परिषद को 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

189. झुंझुनूं में पीपीपी माडल के स्थान पर राजकीय क्षेत्र में ही खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसी सत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सदन में बिल लाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में जयपुर में स्पोटर्स स्कूल स्थापित किया जायेगा, जिसके लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष बीकानेर स्थित सार्दुल स्पोटर्स स्कूल के भवन, छात्रावास एवं खेलकूद के मैदानों के जीर्णोद्धार हेतु 3 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

190. वर्ष 2013-14 में स्काउट गाइड की गतिविधियों एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है। राज्य में एक स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जायेगा, जिसमें सभी बच्चे स्काउट गाइड में पंजीकृत होंगे। इस विद्यालय में शिक्षा के साथ-साथ स्काउट गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

191. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बालिकाओं को किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपनी सुरक्षा हेतु सक्षम बनाया जाये। अत: महाविद्यालयों एवं स्कूल की छात्राओं के लिए self defence courses आयोजित किये जाने प्रस्तावित हैं। इन कोर्सेज के संचालन हेतु महिला शारीरिक शिक्षकों को भी आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

192. प्रदेश में वैज्ञानिक वातावरण विकसित करने हेतु National Science Museum के सहयोग से जोधपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से science city स्थापित की जायेगी। इस science city के माध्यम से आम जन में विज्ञान के प्रति जागृति आने के साथ-साथ मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध हो सकेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

193. राजस्थान मूल के विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर डी एस कोठारी की स्मृति में प्रति वर्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्य के एक वैज्ञानिक को 5 लाख रुपये की राशि का विज्ञान श्रेष्ठता पुरस्कार देने की मैं घोषणा करता हूं।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार :

194. आज के युग में ई-प्रशासन के महत्व से सभी परिचित हैं। इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य में 'इलेक्ट्रोनिक डिलिवरी आफ सर्विसेज अधिनियम' बनाया जायेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त सूचनायें इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निश्चित समय में उपलब्ध कराने की वैधानिक बाध्यता होगी।

195. 'आधार योजना' की क्रियान्विति हेतु प्रत्येक तहसील व जिला मुख्यालय पर स्थायी आधार नामांकन केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे। इस योजना के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाया जा सकता है। अत: पेंशन, छात्रवृत्ति व सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इत्यादि को आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा। इसके अतिरिक्त, आधार योजना को प्रदेश में वर्तमान में लागू integrated financial management system (IFMS) से भी जोड़ा गया है, ताकि कोषालय के माध्यम से लाभार्थियों को राशियों का हस्तांतरण किया जा सके।

उद्योग :

196. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में फार्मास्यूटिकल इकाइयों को निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास में फार्मास्यूटिकल जोन के लिए 64 एकड़ भूमि विकसित की जायेगी। इस जोन में लगभग 700 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

197. जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र प्रहलादपुरा में आटोमोबाइल सर्विस काम्प्लेक्स के लिए 92 एकड़ भूमि विकसित की जायेगी, जिसमें 160 करोड़ रुपये का निवेश एवं लगभग 4 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है।

198. औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विस्तार की मांग को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2013-14 में 10 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी, जो इस प्रकार हैं:-

(श्री अशोक गहलोत)

1. गजनेर-बीकानेर
2. रोहट-पाली
3. कांकाणी-जोधपुर
4. बोरानाड़ा-जोधपुर
5. धानोदी-झालावाड़
6. पतीखिया-श्रीगंगानगर
7. सोनियाना-चित्तौड़गढ़
8. कोलीला जोगा-अलवर
9. बालेसर-जोधपुर
10. कुंजबिहारीपुरा-जयपुर

199. रीको द्वारा स्थापित किये जाने वाले नये औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटियों द्वारा निर्धारित अवधि में उत्पादन प्रारम्भ कर इकाई को निरन्तर क्रियाशील रखने पर प्रोत्साहन के रूप में लौटाई जाने वाली राशि को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में वस्त्र उद्योगों द्वारा Common Effluent Treatment System स्थापित करने हेतु नि:शुल्क भूमि आवंटित की जायेगी।

200. इलेक्ट्रोनिक एसोसियेशन आफ इंडिया द्वारा टपूकड़ा के नजदीक सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जायेगा। इस क्लस्टर में करीब 40-50 इकाइयां स्थापित होंगी, जिनमें लगभग 500 करोड़ रुपये का निवेश तथा लगभग 20 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

201. राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु निगम की अधिकृत पूंजी को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किया जायेगा तथा वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये का अंशपूंजी सहयोग प्रदान किया जायेगा। साथ ही, वित्त निगम द्वारा वर्ष 2013-14 में 200 करोड़ रुपये के बाण्ड्स जारी करने हेतु राज्य सरकार की गारंटी उपलब्ध कराई जायेगी। राजस्थान वित्त निगम द्वारा आगामी वर्ष 'युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' संचालित की जायेगी जिसके अन्तर्गत 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक लागत की परियोजनाओं हेतु न्यूनतम ब्याज दर एवं सुलभ शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

202. राज्य में Special Investment Region Act बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के तहत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना में निवेश क्षेत्र बनाया जाना प्रक्रियाधीन है। इस क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु रीको द्वारा राज्य सरकार की गारंटी पर 2 हजार करोड़ रुपये के ऋण लिये जायेंगे।

203. 'मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना' के अन्तर्गत हस्तशिल्पियों, दस्तकारों, कतिनों, बुनकरों एवं बेरोजगार युवाओं द्वारा स्वयं का उपक्रम स्थापित करने हेतु बैंकों से लिये गये ऋण का चुकारा समय पर करने पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में लगभग 10 हजार नये उद्यमों की स्थापना की जायेगी, जिसमें एक लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।

204. राज्य के लगभग 36 हजार खादी कतिन एवं बुनकरों को आवश्यक उपकरण क्रय करने एवं कार्यशील पूंजी के पेटे 5-5 हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी, जिसके लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है। साथ ही, कतिनों व बुनकरों को स्वयं सहायता समूह गठित करने हेतु भी प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, कतिनों व बुनकरों के उत्पादों के विपणन एवं खादी की बिक्री बढ़ाने के लिए सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर 5-5 करोड़ रुपये की लागत से 'हैंडलूम एवं खादी प्लाजा' की स्थापना की जायेगी।

205. राजसीको, बुनकर संघ, खादी बोर्ड तथा राजस्थान हाथकर्घा विकास निगम को वित्तीय पुनर्गठन हेतु 5-5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त, हाथकर्घा विकास निगम की लगभग 26 करोड़ रुपये की बकाया ब्याज राशि को अंशपूंजी में परिवर्तित किया जायेगा।

206. रूडा के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में पोकरण कुम्भकारी कला, शेखावाटी क्षेत्र में बंधेज, हाड़ोती क्षेत्र में कोटा डोरिया एवं सीकर जिले में चर्म उद्योग के विकास हेतु क्लस्टर्स स्थापित किये जायेंगे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री):

पेट्रोलियम एवं खनिज :

207. खान एवं भू-विज्ञान विभाग की राजस्व अर्जन के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है। खान विभाग की बढ़ी हुई

(श्री अशोक गहलोत)

जिम्मेदारियों को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग की तीन शाखाओं, खनिज, भू-विज्ञान एवं सतर्कता का पुनर्गठन करते हुए 782 पदों का सृजन किया जायेगा।

(माननीय सदस्य, श्री शंकर सिंह द्वारा सदन कूप में धरना)

208. सीमेंट एवं ऊर्जा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लाइमस्टोन के पूर्वेक्षण (prospecting) हेतु नागौर, जैसलमेर व चित्तौड़गढ़ एवं लिग्नाइट के पूर्वेक्षण (prospecting) हेतु बीकानेर तथा बाड़मेर जिलों में 12 हजार मीटर छिद्रण (drilling) कार्य किया जायेगा, जिस पर लगभग 4 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

209. राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विकसित करने के लिए बाड़मेर-सांचौर बेसिन एवं जैसलमेर बेसिन में शेल गैस (shale gas) की खोज एवं विकास का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

210. प्रदेश में रिफाइनरी की स्थापना के दूरगामी लाभ को देखते हुए हमने शासन संभालते ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय की प्रक्रिया को गति प्रदान की। बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। रिफाइनरी की स्थापना हेतु HPCL द्वारा चाहे गये incentives के लिए राज्य सरकार द्वारा सहमति दी गई। मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है, जैसा कि मैंने आज सुबह ही आपको शुरू में ही कहा है कि HPCL के निदेशक मंडल ने दिनांक 5 मार्च, 2013 की बैठक में राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर इसे अपनी अभिशंसा के साथ अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है।

(माननीय सदस्य, श्री शंकर सिंह द्वारा सदन कूप में धरना समाप्त)

परिवहन :

211. वर्ष 2013-14 में शाहपुरा-भीलवाड़ा, शाहपुरा-जयपुर, दूदू, नोखा, भीनमाल एवं नोहर के उप परिवहन कार्यालयों को जिला परिवहन कार्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, रेलमगरा, नावां, लूनकरणसर, भवानीमंडी एवं देवली में नये उप-परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे।

212. जिला परिवहन कार्यालय, चौमूं, भिवाड़ी, सुजानगढ़, फलौदी, आबूरोड, किशनगढ़ एवं बालोतरा में ड्राइविंग टैस्ट हेतु ट्रैक्स का निर्माण करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर ड्राइविंग ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

213. आगामी वर्ष राज्य सरकार द्वारा पीपीपी माडल पर ग्रामीण बस सेवायें संचालित करने हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि वाइबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवायी जायेगी, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हजार 50 से अधिक नये मार्गों पर लगभग 1 हजार 700 बसें संचालित की जा सकेंगी।

214. केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सिंधी कैंप, जयपुर का 50 करोड़ रुपये की लागत से विकास करवाने एवं जोधपुर में नवीन बस टर्मिनल का 40 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करने की योजना क्रियान्वित की जायेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न बस स्टैण्डों पर निगम अपने संसाधनों से 50 करोड़ रुपये की राशि का व्यय कर यात्री सुविधाओं में विस्तार करेगा। साथ ही, निगम द्वारा बसों के संचालन हेतु 1 हजार 20 चालकों एवं 186 परिचालकों की भर्ती की जायेगी।

215. वर्ष 2013-14 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को पूंजीगत व्यय हेतु 100 करोड़ रुपये की अंशपूंजी उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त, 150 करोड़ रुपये के बाण्ड्स जारी करने हेतु गारंटी भी प्रदान की जायेगी।

(13.00 बजे)

स्थानीय निकाय एवं शहरी विकास :

216. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के बड़े शहरों, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व उदयपुर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सीवरेज के कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 32 शहरों में सीवरेज व एस टी पी निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में आबूरोड, अलवर, ब्यावर, बहरोड़, भादरा, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कोटपूतली, कुचामन सिटी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर), मेड़ता सिटी, नवलगढ़, निंबाहेड़ा, चिड़ावा, फलौदी, रामगंजमण्डी, संगरिया, शाहपुरा, शिवगंज, सूरतगढ़, सुजानगढ़, भिवाड़ी, हिण्डौन, धौलपुर एवं भरतपुर में सीवरेज परियोजनायें स्वीकृत की जायेंगी। साथ ही, जोधपुर, जयपुर, कोटा तथा अजमेर-पुष्कर शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज परियोजनायें स्वीकृत की जायेंगी। ये परियोजनायें भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जायेंगी। इन सभी परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 2 हजार 500 करोड़ रुपये होगी। कई अन्य शहरों में ऐसी परियोजनायें RUIDP फेज तृतीय में ली जायेंगी।

(श्री अशोक गहलोत)

217. राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की 7 झीलों, नाथूवास व सिंहाड़-नाथद्वारा, दायबतालाब-बांसवाड़ा, गेप सागर-डूंगरपुर, कायलाना-जोधपुर, घड़सीसर-जैसलमेर एवं जेतसागर-बूंदी के विकास हेतु 378 करोड़ रुपये की परियोजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है।

218. पूर्व में हमने प्रत्येक संभाग के एक शहर की पेयजल आपूर्ति का कार्य सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। इस व्यवस्था की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2013-14 में प्रदेश की निम्नानुसार 22 शहरी जल प्रदाय योजनायें नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना प्रस्तावित है:-

उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर, चूरू, बारां, झालावाड़, झालरापाटन, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सादुल शहर, संगरिया, हनुमानगढ़, रामगंजमण्डी, देशनोक, सरदारशहर, तारानगर, मकराना, ब्यावर, सुमेरपुर, पाली तथा भवानी मण्डी।

219. जयपुर में राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा India International Centre, New Delhi की तर्ज पर 'राजस्थान हेबिटैट सेंटर' की स्थापना की जायेगी, जिसमें 2 आडिटोरियम एवं 1 कांफ्रेंस रूम के अतिरिक्त अन्य सुविधायें भी होंगी। इस सेंटर की कुल लागत 50 करोड़ रुपये होगी जिसमें से 25 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे एवं निर्माण कार्य दो चरणों में किया जायेगा।

220. नगरीय निकायों, न्यासों, प्राधिकरणों एवं नगर नियोजन विभाग में लगभग 3 हजार 700 रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ 3 हजार 500 तकनीकी एवं प्रशासनिक पदों का सृजन कर भरने की कार्रवाई की जायेगी। इस पैमाने पर मानव संसाधन उपलब्ध करवाने से ये संस्थायें अपने उत्तरदायित्वों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में सक्षम हो सकेंगी।

221. उदयपुर नगर परिषद को नगर निगम में एवं गंगापुर सिटी, मकराना, हिण्डौन, भिवाड़ी, बालोतरा एवं सुजानगढ़ नगरपालिकाओं को नगर परिषदों में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के अजमेर-पुष्कर व औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ को सम्मिलित करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण के गठन की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही, पाली, सीकर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ एवं सवाई माधोपुर में नगर सुधार न्यासों का गठन किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

222. वर्ष 2013-14 में जोधपुर में रिकतिया भैरूंजी पर 111 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, श्रीगंगानगर जिले में 12 आर यू बी के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है तथा इनमें से अधिकांश पर निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिये गये हैं। हिण्डौन बाजना, राजगढ़, हनुमानगढ़, संगरिया एवं गंगापुर सिटी में रेलवे के साथ फिजिबिलिटी सुनिश्चित होने के उपरांत 5 आर ओ बी अथवा आर यू बी के निर्माण कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

223. कच्ची बस्तियों में भारत सरकार की बी एस यू पी (BSUP) व आई एच एस डी पी (IHSDP) योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से निकायों द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूति पर 400 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया जायेगा।

224. राज्य को कच्ची बस्ती मुक्त कराने हेतु 'राजीव आवासीय योजना' के अन्तर्गत जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर व भरतपुर शहरों हेतु परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिनके अन्तर्गत लगभग 14 हजार मकानों के साथ ही अन्य आधारभूत संरचनाओं, जैसे सम्पर्क सड़क, सीवरेज, रोड लाइट, सामुदायिक केन्द्र, चिकित्सालय एवं रोजगार केन्द्रों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

225. राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों को आवास सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा अफोर्डेबल आवासीय योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को आवास की किश्त अदा करने हेतु बैंक ऋण प्राप्त करने में आ रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RAVIL) द्वारा ऋण लेकर गठित कोष में से ऐसे परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। इन परिवारों द्वारा मासिक किश्तों की अदायगी समय पर करने पर ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

226. राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध एवं पारदर्शिता से भूखण्डों के पट्टे जारी करने हेतु भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी को विलोपित कर धारा 90-ए को प्रभावशील किया गया है। इसके साथ ही, प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान के अन्तर्गत विभिन्न छूटें प्रदान करते हुए अब तक 2 लाख से अधिक पट्टे एवं अन्य प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

227. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न शहरी क्षेत्रों में गत

(श्री अशोक गहलोत)

चार वर्षों में 28 हजार 367 आवासों का आबंटन किया गया तथा 24 हजार 900 आवासों का आवेदकों को भौतिक कब्जा दिया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न आय वर्ग के 15 हजार आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

228. माननीय सदस्यों को विदित है कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत प्रथम चरण के प्रथम भाग में मानसरोवर से चांदपोल तक का कार्य प्रगति पर है। प्रथम चरण के दूसरे भाग में चांदपोल तक मेट्रो का संचालन प्रारम्भ होने के तुरन्त पश्चात्, चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक भूमिगत लाइन का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इस दूसरे भाग की कुल लागत 1 हजार 123 करोड़ रुपये है, जिसके लिये एडीबी से 969 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक 23.09 किलोमीटर लम्बाई में जयपुर मेट्रो के द्वितीय चरण का कार्य पीपीपी माडल पर आगामी वर्ष प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। द्वितीय चरण की अनुमानित लागत 6 हजार 583 करोड़ रुपये है।

पर्यटन :

229. आगामी वर्षों में राज्य में पर्यटन उद्योग में निवेश की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए 'पर्यटन इकाई नीति-2007' की कार्यशील अवधि 31 मार्च, 2013 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2014 करना प्रस्तावित है।

230. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले 4 वर्षों में 25 जिलों के 27 गांवों का विकास किया जा चुका है। वर्ष 2013-14 में चूरू में थैलासर, सिरोही में गोमुख एवं वाघेरी, अलवर में अनावरा, हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी, श्रीगंगानगर में गुढा जोहड़, पाली में नरवानिया, दौसा में आभानेरी, जोधपुर में गुढा विश्नोइयां एवं अजमेर में सिलौरा गांवों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जायेगा। प्रत्येक गांव के विकास पर 50-50 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

231. धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से पाली में जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर, मुस्लिम दरगाह एवं शिव मंदिर-लाखोटिया तालाब, किशनगढ़-अजमेर में टूकड़ा के मकबरे, सांभर में देवयानी कुण्ड एवं मंदिर समूह, करौली में तिमनगढ़ सागर शिव मंदिर, उदयपुर में जगत मंदिर, जैसलमेर में तनोट माता मंदिर, सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट, श्रीगंगानगर में गुरुद्वारा जोहड़, अजमेर में चर्च,-टाडगढ़ एवं बांदीकुई में सेंट फ्रांसिस आफ असिसी चर्च के आस-पास के क्षेत्रों

(श्री अशोक गहलोत)

को विकसित करने के साथ-साथ जन सुविधाओं का भी विकास करवाया जायेगा। इन कार्यों पर आगामी वर्ष लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त, दरगाह शरीफ-अजमेर के क्षेत्र में जायरीनों की सुविधा हेतु 5 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्य करवाना प्रस्तावित है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 232. होटल खासाकोठी भवन के जीर्णोद्धार हेतु राजस्थान होटल निगम को आगामी वर्ष राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके साथ ही, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु निगम को 15 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।

कला एवं संस्कृति :

233. राजस्थान साहित्य अकादमी के तत्वावधान में आगामी वर्ष राज्य के साहित्यकारों का एक लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जायेगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 234. प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिये स्मारकों के पुनरुद्धार एवं मरम्मत के कार्यों हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

देवस्थान :

235. राजकीय मंदिरों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाने के लिये आगामी वर्ष 12 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, राजकीय मंदिरों की नगरीय क्षेत्रों में स्थित रिक्त भूमियों पर अतिक्रमण रोकने हेतु बाउंड्रीवाल का निर्माण करवाया जायेगा, जिस पर 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही, गंगोत्री स्थित श्रीगंगाजी के मंदिर का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाये जायेंगे।

236. कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर राज्य से जाने वाले श्रद्धालुओं को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में दी जा रही सहायता राशि 20 हजार रुपये को बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति करने की मैं घोषणा करता हूं।

237. प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना' का संचालन करने की मैं घोषणा करता हूं। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों से देश

(श्री अशोक गहलोत)

के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा रेलवे से अनुबन्ध कर रेलों का संचालन किया जायेगा। आगामी वर्ष लगभग 25 हजार वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के अन्तर्गत तीर्थ यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। सम्पूर्ण यात्रा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

गृह :

238. पुलिस विभाग में गत तीन वर्षों से कांस्टेबल्स एवं अन्य पदों पर निरन्तर भर्तियां की जा रही हैं। वर्ष 2010-11 में 8 हजार कांस्टेबल्स की भर्ती की गई थी। वर्तमान में 22 हजार कांस्टेबल्स की भर्ती किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 10 हजार कांस्टेबल्स की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और शेष 12 हजार कांस्टेबल्स की भर्ती वर्ष 2013-14 में की जायेगी।

239. भरतपुर में नया पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया गया है तथा आगामी वर्ष बीकानेर में भी नया पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जायेगा।

240. आगामी वर्ष 6 नये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बाड़मेर में बालोतरा, सीकर में नीमकाथाना, चूरू में राजगढ़ तथा सुजानगढ़, जोधपुर में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जयपुर में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक खोले जायेंगे।

241. वर्ष 2013-14 में निम्नानुसार 12 नवीन वृत्त कार्यालय खोले जायेंगे – जयपुर में जमवारामगढ़, राजसमंद में कुंभलगढ़, जालौर में रानीवाड़ा, उदयपुर में सराड़ा, झुंझुनूं में झुंझुनूं ग्रामीण, जैसलमेर में नाचना, सीकर में लक्ष्मणगढ़, जयपुर शहर में सहायक पुलिस आयुक्त ट्रैफिक, जोधपुर में सहायक पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक), बीकानेर में उप-अधीक्षक पुलिस, यातायात, अलवर में उप-अधीक्षक पुलिस, यातायात एवं सवाई माधोपुर में बामनवास।

242. आगामी वर्ष 10 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा एवं 11 नये थाने स्थापित किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं-

देवली मांझी-कोटा ग्रामीण, आर के पुरम-कोटा शहर, हरसौरा-अलवर, यातायात पुलिस थाना-कोटा शहर, मंडावरी-दौसा, जावदा-चित्तौड़गढ़, भूपाल सागर -चित्तौड़गढ़, खुशखेड़ा-अलवर, बाप-जोधपुर, दतोर-बीकानेर, सदर-नागौर, पुर-भीलवाड़ा, राजीव गांधी नगर-जोधपुर, करवड-जोधपुर, सदर-जैसलमेर, रागेश्वरी

(श्री अशोक गहलोत)

गैस टर्मिनल-बाड़मेर, परसाद (सराड़ा)-उदयपुर, बोराड़ा (अराई)-अजमेर, बीदासर (सुजानगढ़)-चूरू, जैतसर-श्रीगंगानगर एवं कुआं-डूंगरपुर।

243. साथ ही निम्नानुसार 24 नई पुलिस चौकियां स्थापित की जायेंगीः-

चूरू में मालासी (सालासर), रणधीसर (छापर) और कातर (सांडवा), जयपुर में चौमूं कस्बा, जयपुर ग्रामीण में खैजरौली, जाटावाली तथा जालसू, दौसा में ग्राम खोहरामुल्ला धौलाकुआं, बूंदी में ग्राम पगारा और रोटेडा, टोंक में बनस्थली विद्यापीठ, झालावाड़ में अकलेरा, बांसवाड़ा में ग्राम सेनावास और भैंरूपछाड़, धौलपुर में ग्राम जारगा एवं धोर्यमोड, सवाई माधोपुर में कुण्डेरा, कोटा में रानपुर, जोधपुर ग्रामीण में बरला, कानासर, खींचन और चामू, अलवर में पुलिस चौकी ट्रैफिक भिवाड़ी एवं बाड़मेर में चवा।

244. महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक टोल-फ्री 'महिला सुरक्षा लाइन' सेवा प्रारम्भ करने की मैं घोषणा करता हूं। इस टोल-फ्री नंबर पर शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस मोबाइल वैन द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक सहायता तुरन्त उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रथम चरण में यह व्यवस्था सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर लागू की जायेगी।

245. आमजनों में सुरक्षा की भावना बनाये रखने एवं अपराध नियंत्रण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 9 हजार 177 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में एक-एक ग्राम रक्षक नियुक्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश की सभी पंचायत समितियों के एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 'स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना' लागू की जायेगी।

246. पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गये हैं। इसी क्रम में पुलिस आवासीय भवनों की मरम्मत हेतु वर्ष 2013-14 में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, कांस्टेबल्स एवं हैड कांस्टेबल्स के मैस भत्ते की दर को 1 हजार 50 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 500 रुपये करना प्रस्तावित है। साथ ही, निरीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों को भी 1 हजार 750 रुपये की दर से मैस भत्ता देना प्रस्तावित है।

247. जयपुर तथा जोधपुर शहरों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से इंटिग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की 30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त, जोधपुर कमिश्नरेट में 17 पुलिस थानों के लिए पी सी आर वैन्स स्वीकृत की जायेंगी।

(श्री अशोक गहलोत)

248. पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा नेशनल हाइवे पर 20 ट्रैफिक एड पोस्ट्स का गठन करने के साथ-साथ, यातायात हैड-कांस्टेबल एवं कांस्टेबल्स के 1 हजार 250 पद स्वीकृत किये गये हैं। आगामी वर्ष हाइवे पैट्रोलिंग के लिए 100 वाहन उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिस पर लगभग 5 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा।

249. राज्य के कारागारों की क्षमता में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 के बजट में घोषित 5 नये कारागार भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2013-14 में जेलकर्मियों के 600 नवीन पदों का सृजन किया जायेगा, ताकि निर्माण पूर्ण होने पर ये कारागृह संचालित किये जा सकें।

न्याय प्रशासन :

250. बकाया न्यायिक प्रकरणों की बड़ी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2013-14 में जयपुर जिले में फागी एवं चाकसू में कनिष्ठ खंड स्तर के सिविल न्यायाधीश न्यायालय, लालसोट, बाड़ी, सांगानेर व चौमूं में ए डी जे और ए सी जे एम स्तर के न्यायालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त, चित्तौड़गढ़ एवं कोटा में एन डी पी एस कोर्टस खोले जायेंगे। साथ ही, भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय भी खोला जायेगा।

251. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष में आगामी वर्ष 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, अधिवक्ताओं को जिला एवं तहसील स्तर तक पुस्तकालयों की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्रदेश की बार काउंसिल को 10 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

राजस्व :

252. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में निम्नानुसार 43 नवीन उपखण्ड कार्यालय स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूं:-

अलवर में नीमराना तथा रैणी, अजमेर में पुष्कर, रूपनगढ़ तथा टाटगढ़, बूंदी में तालेड़ा, बांसवाड़ा में छोटीसरवन, आनन्दपुरी तथा सज्जनगढ़, भरतपुर में भुसावर, बाड़मेर में सिणधरी तथा सेडवा, भीलवाड़ा में फूलियाकलां, हमीरगढ़, करेड़ा तथा बदनोर, चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर, चूरू में बीदासर, डूंगरपुर में साबला, गलियाकोट, चिकली तथा बिछीवाड़ा, दौसा में नांगलराजावतान, धौलपुर में सरमथुरा, जोधपुर में बावड़ी, बाप, पीपाड़ शहर तथा बालेसर, जालौर में जसवंतपुरा तथा चितलवाना, झुंझुनूं में मलसीसर तथा

(श्री अशोक गहलोत)

सूरजगढ़, जैसलमेर में भनियाना, झालावाड़ में असनावर, कोटा में कनवास, नागौर में कुचामन सिटी तथा रीयांबड़ी, पाली में रानी, सीकर में धोद, रामगढ़ सेठान तथा खंडेला, सवाई माधोपुर में वजीरपुर एवं उदयपुर में बड़गांव।

253. आगामी वर्ष 5 नई तहसीलें सृजित की जायेंगी एवं 8 उप-तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं :-

तहसीलें : अजमेर में टाटोटी, बांसवाड़ा में गांगड़तलाई, अंबापुरा और गनौड़ा तथा नागौर में मूंडवा।

उप-तहसीलों से तहसीलों में क्रमोन्नयन : अजमेर में विजय नगर, बाड़मेर में गडरा रोड और धोरिमन्ना, उदयपुर में सेमारी, जयपुर में किशनगढ़ रेनवाल और कोटखावदा, अलवर में मालाखेड़ा एवं जोधपुर में तिवरी।

254. आगामी वर्ष स्थापित की जाने वाली नई उप-तहसीलें इस प्रकार हैं :-

अजमेर में कादेड़ा, देवलिया कलां और नागोला, अलवर में बड़ोदामेव, नारायणपुर, भनोखर और खैरथल, बारां में हरनावदाशाहजी और कवाई, बाड़मेर में कल्याणपुर और पाटोदी, भरतपुर में रूदावल, भीलवाड़ा में खजूरी और पारोली, बूंदी में करवर, लाखेरी, डबलाना और डाबी, चित्तौड़गढ़ में मंगलवाड़ और निकुंब, चूरू में राजलदेसर, दौसा में बड़ियाकलां, बैजूपाड़ा और सैंथल, श्रीगंगानगर में 365 हेडमण्डी 2 केएलपी, हनुमानगढ़ में गोलूवाला और खुईया, जयपुर में रामपुरा डाबड़ी, पावटा, मनोहरपुर, गोविन्दगढ़ और जालसू, जालौर में रामसीन और जीवाणा, झुंझुनूं में मण्ड्रेला, मुकुंदगढ़ और बिसाऊ, जोधपुर में डांगीयावास, सेतरावा, आऊ, लोहावट और मतोड़ा, करौली में श्रीमहावीरजी, कोटा में खांतोली, पाली में बेड़ा, बगड़ीनगर और सैंदड़ा, प्रतापगढ़ में सुहागपुरा और दलोट, राजसमंद में देलवाड़ा और गिलूंड, सीकर में लौसल, सिरोही में कैलाशनगर, टोंक में बरवास, सोप और नासिरदा, उदयपुर में जयसमंद और गीगला, धौलपुर में बसईनवाब एवं नागौर में गच्छीपुरा और बड़ीखाटू।

255. वर्ष 2012-13 में प्रत्येक जिले की एक तहसील में कम्प्यूटरीकृत आनलाइन जमाबंदी जनसाधारण को सुलभ कराने की घोषणा की गई थी। इस व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से सभी तहसीलों में प्रारम्भ करने हेतु पटवारियों के 641 पद सृजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, भू-अभिलेख निरीक्षकों के भी 1 हजार 424 पद सृजित किये गये हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

256. उपनिवेशन क्षेत्र की ऐसी जमीनों के जिनके आबंटन निरस्त कर दिये गये हैं, प्रकरणों में बिना ब्याज के राशि दिसम्बर 2013 तक एकमुश्त जमा करवाने पर आबंटन बहाल कर दिया जायेगा, बशर्ते इन जमीनों को अन्य किसी को आबंटित नहीं किया गया हो।

सैनिक कल्याण :

257. वर्तमान में जयपुर, झुंझुनूं, सीकर एवं कोटा में युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के संचालन के लिए राज्य सरकार 2 करोड़ रुपये का अंशदान कोरपस फण्ड हेतु उपलब्ध करायेगी।

258. वर्ष 2013-14 में बहरोड़ में सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु 80 लाख रुपये एवं चिड़ावा के सैनिक विश्राम गृह में अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाने हेतु 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

स्वतंत्रता सेनानी :

259. स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में 17 हजार रुपये प्रति माह की पेंशन एवं 3 हजार रुपये प्रति माह की चिकित्सा सहायता राशि देय है। इन सेनानियों की पेंशन राशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपये एवं चिकित्सा सहायता राशि को बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रति माह करने की मैं घोषणा करता हूं।

सूचना एवं जन सम्पर्क तथा पत्रकार कल्याण :

260. पत्रकार-साहित्यकार कोष तथा कलाकार कोष में राज्य सरकार द्वारा 5-5 करोड़ रुपये का अंशदान देने की मैं घोषणा करता हूं। पात्र अधिस्वीकृत पत्रकारों, जिनकी आयु 62 वर्ष से अधिक है, को पांच हजार रुपये प्रति माह की सहायता राशि उपलब्ध कराने का पूर्व में निर्णय लिया गया था, अब पात्रता हेतु आयु घटाकर 60 वर्ष करने की मैं घोषणा करता हूं। इसके साथ ही, 62 वर्ष से अधिक आयु के चयनित प्रतिभावान खिलाड़ियों तथा ख्यातनाम लेखकों, साहित्यकारों, कलाकारों, संगीतकारों एवं रंगकर्मियों के लिए लागू की गई 'मुख्य मंत्री वरिष्ठ प्रतिभा सम्मान योजना' की पात्रता हेतु आयु की सीमा को घटाकर 60 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

261. अधिस्वीकृत पत्रकारों की चिकित्सा के लिए मेडिक्लेम एवं दुर्घटना समूह बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। आगामी वर्ष मेडिक्लेम पालिसी की राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मैं घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

262. प्रदेश के अधिस्वीकृत पत्रकारों को एक-एक लैपटाप राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करता हूं।

263. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा वर्तमान में निर्धारित विज्ञापन दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि करना प्रस्तावित है। इस वृद्धि से लगभग 800 ऐसे समाचार पत्रों को लाभ होगा, जिनकी विज्ञापन की दरें डीएवीपी से अनुमोदित नहीं हैं।

264. आगामी वर्ष में धौलपुर एवं सिरोही में सूचना केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा, जिसकी लागत 2 करोड़ रुपये होगी।

सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार :

265. मुम्बई में वाशी स्थित राजस्थान भवन के प्रथम फेज का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा। वर्ष 2013-14 में द्वितीय फेज के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है जिसकी लागत लगभग 25 करोड़ रुपये होगी।

266. अजमेर शहर के पर्यटन एवं धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किशनगढ़ में हवाई अड्डे का निर्माण करवाया जा रहा है जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इण्डिया को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है।

267. विभिन्न योजनाओं की प्रभावी मोनिटरिंग हेतु हमने राज्य में रिजल्ट फ्रेमवर्क डाक्यूमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है।

268. प्रदेश की योजनाओं के निर्माण एवं शोध कार्यों के लिए विभिन्न सूचनाओं के प्रमाणिक दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य एवं जिला गजेटीयर के लेखन एवं प्रकाशन के कार्य को पुन: प्रारम्भ किया जायेगा।

कर्मचारी कल्याण :

269. आगामी वर्ष सम्भागीय मुख्यालय भरतपुर में क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय स्थापित किया जायेगा ताकि सम्भाग में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में सुविधा हो सके।

270. मुझे खुशी है कि राज्य कर्मचारियों के लम्बे समय से रुके हुए पदोन्नति प्रकरण का निपटारा करते हुए गत 6 महीनों में 4 हजार 40 डीपीसी की बैठकें आयोजित कर 51 हजार से अधिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान

(श्री अशोक गहलोत)

प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में 47 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया। ये पदोन्नतियां गत 17 वर्षों से लम्बित थीं। इसी प्रकार, राजस्थान वन सेवा में 28 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया। ये पदोन्नतियां भी गत 5 वर्षों से लम्बित थीं। राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारियों की पदोन्नतियां भी प्रक्रियाधीन हैं।

271. वर्ष 2013-14 के इस बजट में शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य विभागों में विभिन्न संवर्गो के अन्तर्गत 1 लाख 50 हजार से अधिक पद सृजित करना प्रस्तावित किया गया है। इन नवसृजित पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष के शुरू से ही प्रारम्भ कर दी जायेगी ताकि वर्ष के दौरान नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

272. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किये गये संशोधित वेतनमानों से सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई करने तथा अपनी सिफारिशें देने हेतु सेवानिवृत्त आई ए एस श्रीमती कृष्णा भटनागर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हुई। उक्त समिति की सिफारिशें 01 जुलाई, 2013 से लागू करने की मैं घोषणा करता हूं।

कुछ तो साथ देओ, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप संवेदनशील हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह घोषणा, आपके पिछले बजट की थी। एक ही बात के लिए, छठे वेतन आयोग के लिए आप दो बार ताली बजवाओगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप इतने संवेदनशील हैं, आप खुद कर्मचारियों के नेता रह चुके हैं, सर्विस में रह चुके हैं; आप तो लम्बी यात्रा करके आप यहां तक पहुंचे हो, सर्विस करते-करते, मैं समझता हूं कि आपसे ज्यादा और किसको खुशी होगी! कृष्णा भटनागर समिति की रिपोर्ट इतिहास में, जैन समिति बनी, वाई सिंह कमेटी बनी, ललित किशोर चतुर्वेदी कमेटी बनी; यह पहला मौका है, इस गवर्नमेंट का, जो किसी समिति की रिपोर्ट लागू कर रही है। इसके पहले किसी भी सरकार ने, हमने भी, कभी लागू नहीं की थी। यह पहला मौका है। सबसे ज्यादा खुशी आपको होनी चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप यह इसलिए कर रहे हो कि चुनाव आपके सिर पर चढ़ रहा है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 273. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमानों में स्थिरीकरण 01 सितम्बर, 2006 के स्थान पर 01 जनवरी, 2006 से करने की मांग की गई। इस मांग को भटनागर समिति द्वारा खारिज कर दिया गया है। फिर भी राज्य कर्मचारियों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि हमने मैनिफेस्टो में लिखा था और आपको तो मालूम है कि हमारी पिछली गवर्नमेंट ने मैनिफेस्टो को, पूरे मुल्क में पहली गवर्नमेंट है जिसने मैनिफेस्टो को कैबिनेट से एप्रूव करवाया और सरकार का कार्य योजना का अंग बनाया। यह प्रयोग देश के अन्दर पहली बार मैंने ही किया था। इस बार भी, अध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार बनी तब हमने मैनिफेस्टो को वापस कैबिनेट में एप्रूव करवाया, सिर्फ इसलिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाने से पहले, यह मैनिफेस्टो सोच-समझकर बनाया गया है कि क्या सम्भावना है पूरा करने की। उसके बावजूद भी पूरे नहीं होते हैं, हम जानते हैं परन्तु हमने प्रयास तो किया कम से कम। आप एप्रिशिएट करेंगे। तो आज कृष्णा भटनागर की रिपोर्ट, चूंकि मना कर दिया गया, उसके बावजूद भी राज्य कर्मचारियों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए और मैनिफेस्टो में जो हमने वादा किया, उसके कारण से भी, ...(व्यवधान) इम्पोर्टेंट घोषणा है।

संशोधित वेतनमानों में स्थिरीकरण 01 जनवरी, 2006 से नोशनल आधार पर करते हुए वास्तविक लाभ 01 जुलाई, 2013 से देने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही, यह भी प्रस्तावित है कि जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि फरवरी से जून 2006 के दौरान देय होगी, ऐसे कर्मचारियों को संशोधन के पूर्व के वेतनमान में 01 जनवरी, 2006 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाकर उनका संशोधित वेतनमानों में स्थिरीकरण किया जायेगा, जिसके पश्चात आगामी वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2006 को देय होगी। ऐसे कर्मचारियों को भी वास्तविक लाभ 1 जुलाई, 2013 से देय होगा।

274. साथ ही, यह भी प्रस्तावित है कि 1 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2013 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों में स्थिरीकरण के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई मासिक पेंशन का भुगतान 01 जुलाई, 2013 से देय होगा।

(श्री अशोक गहलोत)

275. राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा तथा राजस्थान बीमा सेवा को छोड़कर ऐसी राज्य सेवाओं, जिनमें भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने हेतु वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।

276. सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय वर्दी भत्ते तथा धुलाई भत्ते में 01 अप्रैल, 2013 से 50 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

277. कर्मचारी कल्याण से सम्बन्धित उपरोक्त प्रस्तावों से राज्य कोष पर लगभग 2 हजार 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त भार आयेगा।

कर प्रस्ताव

278. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कर प्रस्तावों पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2013-14 के कर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

279. मैंने वर्ष 2011-12 का बजट प्रस्तुत करते समय राज्य के नागरिकों को आश्वस्त किया था कि उनके राजस्व रूपी योगदान की परिणति राज्य के विकास के रूप में अवश्य ही परिलक्षित होगी। आज इस सम्माननीय सदन के समक्ष मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश नागरिकों के योगदान एवं राज्य सरकार के प्रयासों से सुशासन के साथ-साथ सर्वांगीण विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर हो रहा है।

280. प्रदेश के विकास का यह पहलू हमें राजस्व संग्रहण में भी देखने को मिलता है। वर्ष 2008-09 में संग्रहित, कर एवं गैर कर-राजस्व लगभग 18 हजार 8 सौ करोड़ रुपये था। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि 2012-13 में इसका संग्रहण बढ़कर लगभग 42 हजार 4 सौ करोड़ रुपये अर्थात् दो गुना से भी अधिक होना अनुमानित है।

281. इसी अवधि में जहां कर-राजस्व प्राप्तियां 14 हजार 943 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 30 हजार 2 सौ करोड़ रुपये होना अनुमानित है...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वहीं गैर-कर राजस्व प्राप्तियां 3 हजार 888 करोड़ रुपये से बढ़कर कर लगभग 12 हजार 2 सौ करोड़ रुपये होना अनुमानित है। राजस्व संग्रहण में यह उल्लेखनीय प्रगति प्रमुख रूप से बेहतर कर प्रबन्धन, राजस्व विभागों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण, कर संग्रहण में सूचना

(श्री अशोक गहलोत)

प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, कर अपवंचना पर प्रभावी नियंत्रण, प्रक्रियाओं में किया गया निरन्तर गुणात्मक सुधार व सरलीकरण से सम्भव हो सका है। प्रदेश के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं में व्यापक स्तर पर हो रहा विकास इस उल्लेखनीय राजस्व संग्रहण के फलस्वरूप ही सम्भव हो सका है।

282. सामाजिक आधारभूत संरचना अन्तर्गत नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए मैंने अपने पहले बजट वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के बजट में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक तम्बाकू उत्पादों एवं पान मसाला की कर दरों में न केवल लगातार बढ़ोतरी की है अपितु इस वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की राजस्व हानि वहन करते हुए राज्य में गुटखे के सेवन को भी प्रतिबन्धित किया है। हमारे इस प्रयास का अन्य राज्यों ने अनुसरण करते हुए अपने प्रदेशों में भी तम्बाकू उत्पादों की वैट दरों में बढ़ोतरी की है।

283. अध्यक्ष महोदय, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब मैं तम्बाकू उत्पादों एवं पान मसाला के सेवन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से इनकी कर दरों को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

284. मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार की इस सकारात्मक पहल का प्रदेश के नागरिकों एवं माननीय सदस्यगण के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठन अवश्य स्वागत करेंगे। मैंने पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी कर परामर्शदात्री समिति (Tax Advisory Committee) के माध्यम से सुझाव प्राप्त कर यथासम्भव उन्हें अपने कर प्रस्तावों में शामिल करने का प्रयास किया है जिससे कि राज्य के सुनियोजित विकास के लिये हम निरन्तर बेहतर, सरल तथा सुसंगत कर संग्रहण प्रणाली विकसित कर सकें।

प्रक्रिया का सरलीकरण :

285. हमने गत वर्षों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण प्रक्रिया में सरलता, ई-रिटर्न व ई-पेमेन्ट की अनिवार्यता, व्यवहारियों हेतु निःशुल्क डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा, पंजीयन हेतु टर्नओवर की सीमा में बढ़ोतरी, त्रैमासिक रिटर्न का सरलीकरण, वैट एवं सी.एस.टी. के रिटर्न का एकीकरण, टैन्ट, सर्राफा एवं जैम स्टोन व्यवहारियों के लिये कम्पोजिशन स्कीम में संशोधन, प्रथम अपील स्तर पर निर्णय हेतु समयावधि का निर्धारण तथा

(श्री अशोक गहलोत)

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में ई-स्टाम्पिंग की सुविधा प्रमुख है। सरलीकरण के इस क्रम को आगे बढाते हुए मैं इस सम्बन्ध में कुछ और प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

गत दो वर्षों के बजट में कर निर्धारण प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए डीम्ड कर निर्धारण सम्बन्धी घोषणा की गई थी। इसका लाभ उठाते हुए गत दो वर्षों में लगभग 5 लाख से अधिक व्यवहारियों का डीम्ड कर निर्धारण सम्भव हो सका है। इसी क्रम में, वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित ज्यादा से ज्यादा कर निर्धारणों को भी डीम्ड श्रेणी में लाने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 की सभी रिटर्न प्रस्तुत करने की समयावधि 30 अप्रैल, 2013 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

व्यवहारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए मासिक करदाता व्यवहारी पर आरोपित होने वाली लेट फीस की अधिकतम राशि रुपये 50 हजार से घटाकर 25 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

इसी क्रम में, ऐसे व्यवहारी जिनका किसी रिटर्न अवधि में टर्नओवर शून्य है, के लिये भी उक्त रिटर्न अवधि में आरोपित होने वाली लेट फीस की अधिकतम राशि रुपये 5 हजार से घटाकर 1 हजार किया जाना प्रस्तावित है।

निर्यातकों द्वारा समय पर घोषणा पत्र वैट 15 प्रस्तुत नहीं करने पर विक्रेता व्यवहारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे व्यवहारियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 30 सितम्बर, 2012 तक पारित कर निर्धारण आदेशों के लिये

घोषणा पत्र वैट 15 प्रस्तुत करने की समय सीमा को दिनांक 30 जून, 2013 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

बिना डिजिटल सिग्नेचर के तथा विलम्ब से रिटर्न प्रस्तुत करने वाले व्यवहारियों की समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से ऐसे व्यवहारियों को भी अन्य व्यवहारियों की तरह विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त पावती को विभाग में प्रस्तुत करने के लिये रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिवस तक की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

ई-सुविधाएं :

286. अध्यक्ष महोदय, वैट संग्रहण में ई-पेमेंट के अच्छे परिणामों की प्राप्त के पश्चात, हमने इस वर्ष राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना आई एफ एम एस (Integrated Financial Management System) के अन्तर्गत सभी प्रकार के

(श्री अशोक गहलोत)

कर एवं गैर कर-राजस्व के ई-पेमेंट हेतु एक नवीन व्यवस्था ई-ग्रास (E-Government Receipt Accounting System) लागू की है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य के नागरिक सभी प्रकार के करों का ई-पेमेंट कभी भी एवं कहीं से भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से कोषालय से राजस्व प्राप्ति का Reconciliation तुरन्त हो सकेगा जिससे व्यवहारियों को रिफण्ड प्राप्त करने में और भी कम समय लगेगा। यह व्यवस्था कर संग्रहण प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। इसी क्रम में, मैं ई-सुविधाओं का विस्तार करते हुए कुछ और प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

आगामी वित्तीय वर्ष से वैट, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर एवं विलासिता कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा कर भुगतान की सुविधा दिनांक 1 मई, 2013 से e-GRAS के माध्यम से प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में वैट के अन्तर्गत अपंजीकृत व्यवहारियों को ई-पेमेन्ट की सुविधा प्राप्त नहीं है। अत: सभी अपंजीकृत व्यवहारियों को भी e-GRAS के माध्यम से ई-पेमेन्ट की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में ई-सुविधाओं के उपलब्ध होने से व्यवहारियों को रिटर्न व कर जमा कराने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय अथवा बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु उन्हें टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित कर निर्धारण कार्यालय जाना पड़ता है। अत: व्यवहारियों की सुविधा हेतु टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट को भी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आन-लाइन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

पूर्व में व्यवहारियों को सी-फार्म तथा वैट घोषणा पत्र आनलाइन उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में, अब व्यवहारियों को केन्द्रीय बिक्री कर के समस्त घोषणा पत्र आनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त ई-सुविधाएं प्रदान किये जाने के कारण वर्तमान में

(श्री अशोक गहलोत)

वैट, केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान), प्रवेश कर एवं विलासिता कर नियमों के अन्तर्गत प्रचलित 19 फार्मों का विलोपन भी किया जाना प्रस्तावित है।

287. मैंने वर्ष 2011-12 के बजट में वार्षिक टर्नओवर के आधार पर कम्पोजिशन योजना अपनाने वाले व्यवहारियों के लिए लागू अधिकतम टर्नओवर की सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये किया था। राज्य के खुदरा व्यापारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं व्यापार जगत की मांग पर, इस सीमा को 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

288. व्यवहारियों की सुविधा के लिए विलासिता कर अधिनियम के अन्तर्गत रिटर्न एवं अपील एवं अपील सम्बन्धी प्रावधानों को वैट अधिनियम के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।

पंजीयन एवं मुद्रांक :

289. वर्तमान में पंजीकृत होने वाली सम्पत्ति का पूर्ण पारदर्शिता के साथ मौका निरीक्षण व चिन्हीकरण एवं तद् नुसार उसके मूल्यांकन को तकनीकी दृष्टि से और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) का उपयोग चरणबद्ध रूप से चयनित उप पंजीयक कार्यालयों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

290. मैंने वर्ष 2011-12 के बजट में राज्य के सभी 7 सम्भागीय मुख्यालयों पर ई-स्टाम्प को जारी किये जाने की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की थी। इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब यह सुविधा राज्य के शेष जिलों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण

291. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सुचारु कम्प्यूटरीकृत संचालन के लिए मैं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में कम्प्यूटर शिक्षा में दक्ष 474 कनिष्ठ लिपिक तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से 35 प्रोग्रामर के नये पदों के सृजन की घोषणा करता हूं।

292. वर्तमान में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक मुख्यालय अजमेर स्थित कर भवन से संचालित होता है। मैं अजमेर में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के लिए नवीन भवन बनाये जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु इस वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

कर दरों में राहत :

293. अध्यक्ष महोदय, अब मैं विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों तथा राज्य के नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए कर दरों में राहत के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं, वैट व वाणिज्यिक कर से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

वैट :

294. मैंने वर्ष 2009-10 में हैण्डीक्राफ्ट के विनिर्माण के लिए उपयोग में आने वाली बबूल, आम तथा शीशम की लकड़ी पर देय कर को घटाया था। इसी क्रम में, हैण्डीक्राफ्ट के विनिर्माण हेतु खरीदे जाने वाले केम/कदम्ब तथा चंदन की लकड़ी पर देय कर को भी 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।

295. वर्तमान में 1 प्रतिशत मुक्ति शुल्क की दर के अन्तर्गत आने वाले वर्क्स कान्ट्रेक्ट (Works contract) से सम्बन्धित कार्यों की मरम्मत (repair) के लिये मुक्ति शुल्क की दर 3 प्रतिशत निर्धारित है। अब मैं इस विसंगति को दूर करते हुए ऐसे मरम्मत कार्यों (repair) के लिए निर्धारित मुक्ति शुल्क की दर को 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

296. स्टेनलेस स्टील वायर व वायर राड को 'घोषित वस्तु (declared goods)' की श्रेणी में नहीं मानने के कारण इन वस्तुओं पर 5 प्रतिशत कर दर के बजाय 14 प्रतिशत का कर दर लागू हो गया है। इस स्थिति से उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण करते हुए स्टेनलेस स्टील वायर व वायर राड पर लागू कर दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

297. कर दर सम्बन्धी अनुसूचियों में वर्णित वस्तुओं के विवरण से उत्पन्न हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के उद्देश्य से कतिपय वस्तुओं यथा computer related items, cash dispensers, loaders, processed meat, poultry पर कर दर स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।

298. मैंने पूर्व में आम नागरिकों के उपयोग में आने वाली कई वस्तुओं को वैट से कर मुक्त किया है। अब इसी क्रम में मैं साबुत जीरा, सौंफ, हल्दी, सूखी मिर्ची, धनिया, मेथी, अजवायन, सूवा, असालिया तथा कथोड़ी को वैट से कर मुक्त करने की घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

विलासिता कर :

299. सार्वजनिक भवनों जैसे सामुदायिक केन्द्र, धर्मशाला, मैरिज गार्डन में विभिन्न प्रकार के पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मैं एक लाख से कम आबादी वाले शहरों एव गांवों में, होटल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को छोड़कर, ऐसे सामुदायिक केन्द्र, धर्मशाला एवं मैरिज गार्डन को विलासिता कर से मुक्त किये जाने की घोषणा करता हूं।

पंजीयन एवं मुद्रांक :

300. अब मैं पंजीयन एवं मुद्रांक के सम्बन्ध में कर दरों में राहत के प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

301. नजदीकी परिवारजन के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति की गिफ्ट डीड पर 2.5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय है। इसी क्रम में, अब पत्नी एवं पुत्रियों के पक्ष में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं उनके पक्ष में निष्पादित होने वाले गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी दर को घटाकर 1 प्रतिशत या 1 लाख रुपये, जो भी कम हो, किये जाने की घोषणा करता हूं।

302. अध्यक्ष महोदय, इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए अब विधवाओं के पक्ष में उसे माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, सास, श्वसुर, जेठ, देवर, ननद द्वारा निष्पादित होने वाले गिफ्ट डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं।

303. सस्ती दरों पर आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं डवलपर एग्रीमेन्ट पर वर्तमान में देय 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 1 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूं।

भूमि कर :

304. अब मैं भूमि कर के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

305. राज्य में भूमि कर वर्ष 2006 में लागू किया गया था। इस नवीन कर को लागू करने के सम्बन्ध में कई व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आईं जिनका समय-समय पर निराकरण करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2007 में भूमि कर के प्रयोजनार्थ भूमि की 10 श्रेणियां अधिसूचित की गईं। मैंने वर्ष 2009-10 के बजट में पांच गैर-खनन श्रेणी की भूमि हेतु भूमि कर दर को 50 प्रतिशत घटाया था तथा गत वर्ष भी भूमि कर के सरलीकरण से

(श्री अशोक गहलोत)

सम्बन्धित संशोधन प्रस्तावित किये थे, परन्तु कई व्यावहारिक कठिनाइयां अभी भी विद्यमान हैं। इन व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी श्रेणी की भूमियों को आगामी वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से भूमि कर से मुक्त किये जाने की घोषणा करता हूं।

परिवहन :

306. अब मैं, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत कर दरों में राहत के प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

307. मैंने वर्ष 2011-12 के बजट में ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के मार्गों पर संचालित नयी पंजीकृत स्टेज कैरिज बसों का पंजीयन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिए विशेष पथ कर में शत-प्रतिशत छूट दी थी। इससे इन मार्गों पर एक हजार से भी अधिक नये वाहनों को अतिरिक्त संचालन प्रारम्भ हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को सुरक्षित एवं आरामदेह परिवहन सुविधाओं का लाभ मिला है। इसके अच्छे परिणाम को देखते हुए मैं इस छूट की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किये जाने की घोषणा करता हूं।

308. इसी क्रम में मैं इस छूट का दायरा और बढ़ाते हुए दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2014 तक पंजीकृत होने वाली एवं ग्रामीण मार्गों एवं अन्य श्रेणी के मार्गों का परमिट प्राप्त कर संचालित होने वाली नयी पंजीकृत स्टेट कैरिज बसों को पंजीयन तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष पथ कर में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं।

309. नई स्टेट कैरिज बसों को विशेष पथ कर में राहत देने के साथ-साथ, अन्य श्रेणी मार्गों पर प्रतिदिन 300 किलोमीटर की सीमा तक संचालित हो रहे पुराने स्टेट कैरिज वाहनों को भी राहत पहुंचाने की दृष्टि से इन पर लागू विशेष पथ कर की अधिकतम सीमा को 25 हजार रुपये से घटाकर 12 हजार 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

310. सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु वाहन चालकों का कुशल एवं प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इनके प्रशिक्षण में निजी मोटर ड्राइविंग स्कूलों की अहम भूमिका है। राज्य में मोटर ड्राइविंग स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों पर देय विशेष पथ कर में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं।

311. पर्यटन के क्षेत्र में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान देश भर में प्रसिद्ध है। यहां पर्यटक भ्रमण करने हेतु कैन्टर एवं जिप्सी का उपयोग करते हैं। यह

(श्री अशोक गहलोत)

राष्ट्रीय उद्यान वर्ष में 3 माह तक बन्द रहता है, जिस अवधि में इन वाहनों के विशेष बनावट के कारण तथा सामान्यत: अन्यत्र उपयोग नहीं हो सकने के कारण वाहन मालिकों को रोजगार नहीं मिल पाता है। ऐसे वाहनों के सीमित उपयोग को देखते हुए इनके द्वारा देय विशेष पथ कर में 25 प्रतिशत की छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं।

पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर

312. अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी सभी श्रेणी की भूमियों को भूमि कर से मुक्त किये जाने की घोषणा की है। भूमि कर राजस्व का प्रमुख भाग खनन श्रेणी की भूमियों से प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2008 में पर्यावरण तथा लोक स्वास्थ्य के संरक्षण तथा संवर्धन के उद्देश्य से राज्य के खनिज अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर लागू किया गया था। राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एवं उन्हें संरक्षित पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन (Cement Grade Limestone), जिप्सम (Gypsum), सभी श्रेणी के राक फोस्फेट (Rock Phosphate), वालस्टनाइट (Wollastonite), सीसा (Lead), जस्ता (Zinc) तथा तांबा (Copper) के खनिज अधिकरों पर दिनांक 01.04.2013 से पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर की वर्तमान दरों में बढ़ोतरी किया जाना तथा एस.एम.एस. ग्रेड लाइमस्टोन (SMS Grade Limestone) के खनिज अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर लागू किया जाना प्रस्तावित है। इन खनिजों के खनिज अधिकारों पर लागू होने वाले पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर की नई दरें पृथक से अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। इस उपकर से प्राप्त आय का उपयोग केवल पर्यावरण तथा लोक स्वास्थ्य के संरक्षण तथा संवर्धन में किया जायेगा।

313. मेरे इन कर प्रस्तावों से लगभग 310 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय सम्भावित है तथा 400 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है। इस राजस्व अन्तर की पूर्ति बेहतर कर प्रबन्धन द्वारा की जायेगी।

314. मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की क्रियान्विति हेतु कुछ अधिसूचनाऐं भी जारी की जा रही हैं जिनमें इनके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपलब्ध है। इसके साथ ही कर दर सम्बन्धी एवं अन्य प्रयोजनार्थ भी कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

315. इन प्रस्तावों के साथ ही कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित है, जिनके विस्तृत उद्देश्य एवं प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

वर्ष 2012-13 के संशोधित अनुमान :

316. वर्ष 2012-13 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियां	68 हजार 483 करोड़ 86 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	67 हजार 711 करोड़ 89 लाख रुपये
3.	राजस्व आधिक्य	771 करोड़ 97 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	18 हजार 255 करोड़ 38 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	18 हजार 800 करोड़ 91 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में घाटा	545 करोड़ 53 लाख रुपये
7.	बजटीय आधिक्य	226 करोड़ 44 लाख रुपये
8.	राजकोषीय घाटा	11 हजार 203 करोड़ 1 लाख रुपये

वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान :

317. वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1.	राजस्व प्राप्तियां	77 हजार 220 करोड़ 60 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	76 हजार 194 करोड़ 74 लाख रुपये
3.	राजस्व आधिक्य	1 हजार 25 करोड़ 86 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	17 हजार 987 करोड़ 87 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	18 हजार 677 करोड़ 21 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में घाटा	689 करोड़ 34 लाख रुपये
7.	बजटीय आधिक्य	336 करोड़ 52 लाख रुपये
8.	राजकोषीय घाटा	13 हजार 19 करोड़ 86 लाख रुपये

(श्री अशोक गहलोत)

318. आगामी वर्ष का राजस्व आधिक्य कुल राजस्व प्राप्तियों का 1.33 प्रतिशत व राजकोषीय घाटा GSDP का 2.48 प्रतिशत रहना सम्भावित है।

319. मैं वर्ष 2013-14 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं। साथ ही मैं राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षानुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

320. अब अंत में, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन शब्दों के साथ प्रदेश की खुशहाली की कामना करता हूं:-

अध्यक्ष महोदय, 'व्यक्ति को अपने विचार ...,

आपके लिए विशेष रूप से, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका नेता प्रतिपक्ष की होती है हाउस के अन्दर। तो मैं ससम्मान कह रहा हूं:

> 'व्यक्ति को अपने विचार, शब्द और कर्म में हमेशा पूरा तालमेल बनाने का ध्येय रखना चाहिये। अपने विचारों को सदैव निर्मल रखने का ध्येय रखना चाहिये, ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जायेगा। विचारों से अन्य दूसरी कोई चीज मजबूत नहीं होती है। जब आपके विचार मजबूत और निर्मल होंगे तो नतीजे भी हमेशा मजबूत और निर्मल होंगे।''

321. इन भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 का उपस्थापन करेंगे और सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 का उपस्थापन करता हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान वित्त विधेयक 2013 । श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, राजस्थान वित्त विधेयक 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2013

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 07 मार्च, 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.52 बजे गुरुवार, दिनांक 07 मार्च, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)